रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2015/कार्तिक 12, 1937
No. 295] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2015/KARTIKA 12, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2015

(अंतिम जांच-परिणाम)

विषय : जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थैलिक एन्हाइड्राइड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

फा. सं. 14/6/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए।

मामले की पृष्ठभूमि

1. यत:, मैसर्स आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात याचिकाकर्ता अथवा आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली अथवा नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र रूस और जापान (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थैलिक एन्हाइड्राइड (जिसे एतद्पश्चात विचाराधीन उत्पाद अथवा संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाते हुए दायर किया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने तथा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध करते हुए दायर किया है।

2. और यत:, प्राधिकारी ने यह उपपादित किया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन होने; घरेलू उद्योग को क्षति होने; और कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं; जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने को न्यायोचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी किसी कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री और उसके प्रभाव का निर्धारण करने

तथा पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि उद्ग्रहित की गई तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए उपयुक्त होगी, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने के संबंध में दिनांक 09 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या 14/6/2014-डीजीएडी के तहत एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

प्रक्रिया

3. निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया है :

(i) प्राधिकारी ने नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले आवेदनपत्र की प्राप्ति के संदर्भ में संबद्ध देशों के भारत स्थित राजदूतावासों को सूचना प्रेषित की।

(ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने से पहले भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 09 मई, 2014 को प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

(iii) प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके विवरण आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को इस सार्वजनिक नोटिस की प्रति अग्रेषित कर दी और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उन्हें अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भारत में इस संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों को भी प्रेषित की और उन्हें सुझाव दिया कि वे इस जांच की शुरूआत के पत्राचार की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।

(v) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के राजदूतावासों और ज्ञात निर्यातकों को आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान कराई। इस आवेदनपत्र की एक प्रति, अनुरोध किए जाने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदान कराई गई।

(vi) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी के आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे), को संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रश्नावली प्रेषित की गई :

गजप्राम नेफ्टेखिम सालवट 30, मोलोडोग्वारडीट्सेव स्ट्रीट सालवट, 453256, रूस	जे एससी यूराल कैमिकल कंपनी, सेवरनोये शोसे, 21 निझनिज टागिल-622012, स्वेर्डलव्स्क, रूस
वेस्ट साइबेरिया स्टील हाइवे स्पेस,16 नोवोकुज्नेट्स्क, किम्रोवो क्षेत्र, रूस-654043	अंगररूा पेट्रोकैमिकल्स, अंगरस्क 665830, इर्कुटस्क क्षेत्र, रूस
पालिमर पैक कंपनी, पीओबी 7167, ओम्स्क, रूस-644081	उरालिखम्प्रेम पोड्लेस्नाया स्ट्रीट संख्या 43, पेर्म-614097, रूस
जेएफई कैमिकल कारपोरेशन, मुख्यालय, 4 एफ, जेएफई कुरामे बिल्डिंग, 2-17-4 कुरामे, टाइटोस्कू, टोक्यो-111-0051, जापान	सी-केम कंपनी, लिमिटेड, आकिहाबरा यूडीएक्स 13एफ, 4-14-1 सोटोकनाडा, चियोडा-कू, टोक्यो, जापान
निप्पन शोकुबाई ओसाका ऑफिस कोगिन बिल्डिंग, 4-1-1, कोराइबासी, चुओ-कू, ओसाका 541-0054, जापान	न्यू जापान कैमिकल कंपनी लिमिटेड, ओसाका मुख्यालय, बिंगोमाची, नोमुरा बिल्डिंग, 2-1-8, चुओ-कू, ओसाका 541-0051, जापान

(vii) इस जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने प्रत्युत्तर दिया।

क. रोस्प्लास्ट ओओओ एलएलसी, रूस

ख. ओजेएससी कामटेक्स हिम्प्रोम, रूस

ग. मिलमैन लिमिटैड, यूके

(viii) भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने विधिक प्रस्तुतिकरण किया।

(ix) भारत में इस संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रायेक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम ओर पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को आवश्यक सूचना मांगते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रश्नावलियां प्रेषित की गईं :

केएलजे प्लास्टीसाइजर्स लिमिटेड केएलजे हाउस, 63, रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली	माज्दा कलार्स लिमिटेड, एनकेएम इंटरनेशनली, 178, बैकेब रिक्लेमेशन्स, महाराष्ट्र
पीसीके ऑयल एवं साल्वेंट लिमिटेड, एम-105, द्वितीय तल कनाट प्लेस, नई दिल्ली	लोना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आल्टा भवन, 532 सेनापति बापट मार्ग, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र
सिल्वासा प्लास्ट, केएलजे हाउस, 63, रामा मार्ग, नजफगढ़, नई दिल्ली	आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उद्योग क्षेत्र, द्वितीय तल, मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र
मेकामो इंडस्ट्रीज, 170/6, शिव स्मृति, 27वां मार्ग, सायन पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र	रचना स्लास्टी साइजर्स, प्लाट नम्बर 116 एवं 117 पिपरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सिल्वासा
माइक्रोइक्स लिमिटेड, 512/513, मिडास, 5वां तल, शहरप्लाजा काम्प्लेक्स, जेबी नगर, एम वी आर डी, अंधेरी (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र	थैलो कलर्स एंड कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड नानावटी महालय, 18, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र
हयूबाच कलर प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट सं. 9002-9010, जीआईडीसी एस्टेट, अंकलेश्वर	रामणिक लाल एस गोसला एंड कंपनी, नेशनल हाउस, 608, बी जे मार्ग, जैकब सर्कल, मुंबई, महाराष्ट्र
सनमान ट्रेड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड 1410, मेकर चैम्बर 5, नरीमन प्वाइंट मुंबई, महाराष्ट्र	पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट (इंडिया) प्राइवेट, 20, बिजनेस स्क्वेयर, बी.विंग अंधरी कुर्ला रोड, मुंबई, महाराष्ट्र
एवन केम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 302, शांति हाउस, निकट मधुसूदन हाउस, नवरनपुरा टेलीफोन एक्सचेंज, आफिस सी जी रोड, अहमदाबाद	एमजे कैमिकल्स, 5-1, ओल्ड नागरदास रोड, आदिनाथ टावर अंधेरी (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र
संजय कैमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 507, मातृ छाया, 378/380 नरसिंह नाथ स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र	हैजल मर्केन्टाइल लिमिटेड, 181, अशोका शापिंग सेंटर, द्वितीय तल, जी टी हास्पिटल काम्प्लेस, मुंबई, महाराष्ट्र
इंडियन प्लास्टिसाइजर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, केलएजे हाउस, 63, रामा मार्ग (नजफगढ़ रोड), नई दिल्ली- 110015	इंडियन प्लास्टिक्स फेडरेशन, 18बी, रायक स्ट्रीट प्रथम तल, कोलकाता
इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा डेस्को पेट्स कांफ्रेंस, 75, शेक्सपीयर सरणी कोलकाता	कैमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एस्टे प्रोफेशनल सेंटर गांधी मंडयम रोड, गिंडी, चेन्नई
इंडियन कैमिकल काउंसिल सर बिट्ठलदास चैम्बर, छठा तल, 16, मुंबई समाचार मार्ग, मुंबई-400001	

(x) इस जांच अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर फाइल किया। इसके अतिरिक्त, इंडियन प्लास्टीसाइजर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की।

क. केएलजे प्लास्टीसाइजर्स लिमिटेड

ख. पायल पालीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

ग. रचना प्लास्टीसाइजर्स

(xi) इस जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों को भी भेजी गई थी :

क. एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड, थाणे-वेलापुर रोड, जूइनगर रेलवे स्टेशन के सामने,

ख. नवी मुंबई-400705, महाराष्ट्र

ग. एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड, एशियन पेंट्स हाउस, 6ए, शांति नगर, शांताक्रूज (पूर्व) मुंबई

(xii) याचिकाकर्ताओं की इस याचिका का समर्थन करते हुए मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ने एक पत्र प्रस्तुत किया है। संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, एक आयातक ने विधिक प्रस्तुतिकरण दायर किया है।

(xiii) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 15 जनवरी, 2015 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत करने का अवसर सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिया। घरेलू उद्योग और विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिम रूप में अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें। तथापि, इस मौखिक सुनवाई के पश्चात, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पदधारी में परिवर्तन होने के कारण दिनांक 21 अगस्त, 2015 को एक अन्य मौखिक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस नई सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिनांक 07.01.2011 की वर्ष 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नवीन सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाए। इस नई सार्वजनिक सुनवाई में घरेलू उद्योग और विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पुन: भाग लिया गया जिन्होंने मौखिक रूप में व्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण दायर किया।

(xiv) इस जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान जांच में संगत माने गए एवं तर्कों और प्रदान कराई गई सूचना/साक्ष्यों पर प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।

(xv) प्राधिकारी ने जांच की कार्रवाई के दौरान उनकों प्रदान की गई सूचना की यथार्थता से स्वयं को संतुष्ट किया। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और प्रतिवादी निर्यातकों को परिसरों का संगत एवं आवश्यक समझी गई तक स्थल सत्यापन किया।

(xvi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए संगत प्रस्तुतिकरणों का अंतिम जांच-परिणाम में ध्यान में रखा गया है।

(xvii) प्राधिकारी ने इस संबद्ध वस्तु की भारत में उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर यथासंभव सीमा तक जांच की है ताकि यह सुनिश्चयन किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xviii) यह जांच जनवरी, 2013 से प्रारंभ करके दिसम्बर, 2013 तक की जांच की अवधि (पीओआई) के लिए किया गया। तथापि, क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2010-11, 2012-13 और जांच की अवधि को भी शामिल किया गया है।

(xix) जहां कही किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना तक पहुंच की मनाही की है या वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने विचार रिकार्ड किए।

(xx) इस जांच के अनिवार्य तथ्यों युक्त एक प्रकटन विवरण, जो इस अंतिम जांच-परिणाम का आधार होगा, दिनांक 20.10.2015 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया। घरेलू उद्योग एवं विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम में आवश्यक समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।

(xxi) केंद्रीय सरकार ने प्राधिकारी के अनुरोध पर इस जांच को पूरा करने की समय-सीमा 08.11.2015 तक बढ़ा दी है।

(xxii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं अधिपत्रित हुआ, गोपनीयता प्रदान कर दी और उक्त सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन नहीं किया गया।

(xxiii) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व कर रहा है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है।

(xxiv) इस जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डालर = 58.95 रुपए है।

विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

4. थैलिक एन्हाइड्राइड सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप-शीर्षक संख्या 29173500 के अंतर्गत वर्गीकृत एक कार्बनिक रसायन है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि 'प्योरीफाइड टैरेफ्थैलिक एसिड' ("पीटीए") थैलिक एन्हाइड्राइड का एक व्यवहार्य प्रतिस्थानी है। भारत में पीटीए की मांग में वृद्धि हो गई है। इसके परिणामस्वरूप थैलिक एन्हाइड्राइड की मांग में कमी आ गई जिसे कतिपय अनुप्रयोगों में पीटीए द्वारा सीधे प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

घरेलू उद्योग के लिए

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i). थैलिक एन्हाइड्राइड का प्रयोग थैलेट ईस्टर्न का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो प्लास्टीसाइजर्स के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टिक उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन मध्यवर्ती है। थैलिक एन्हाइड्राइड को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 2917 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii). संबद्ध देशों से निर्यातित और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं तकनीकी गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। दोनों ही उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्तागण इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग अंतनिर्मेय रूप से कर रहे हैं ।

(iii). जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्योरीफाइड टैरेफ्थैलिक एसिड का प्रयोग पीएएन (विचाराधीन उत्पाद) के प्रत्यक्ष प्रतिस्थानी के रूप में किया जा रहा है, यह उल्लेख किया जाता है कि विगत में आयोजित की गई जांचों में से किसी भी जांच में यह सिद्ध नहीं हुआ कि पीटीए और पीएएन का प्रयोग एक दूसरे के प्रतिस्थानी के रूप में किया जाता है। पीटीए और पीएएन की आयात कीमतों में व्यापक अंतर है। प्रतिवादी पक्षकार स्वयं भी पीटीए का प्रयोग प्लास्टीसाइजर्स अथवा किसी अन्य ऐसे उत्पाद का उत्पादन करने के लिए नहीं करते हैं जिसके लिए पीएएन की आवश्यकता हो।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "थैलिक एन्हाइड्राइड" है। थैलिक एन्हाइड्राइड, जिसे पीएएन अथवा पीए के नाम से भी जाना जाता है, थैलिक एसिड का एक एन्हाइड्राइड है और आर्थो-आक्जिलीन अथवा नेफ्थालीन का कैटालिटिक आक्सीकरण करके इसका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया जाता है। यह एक रंगहीन ठोस होता है, जिससे थैलिक एन्हाइड्राइड फ्लेक्स थैलिक एन्हाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम), थैलिक एसिड एन्हाइड्रास, थैलिक एन्हाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि के रूप में जाना जाता है। इस उत्पाद का उत्पादन केवल एक ग्रेड में किया जाता है। जहां तक इसके विभिन्न अनुप्रयोगों का संबंध है, इसके विभेदकरणीय विभिन्न प्रकार के प्रभेद नहीं होते हैं। इसका प्रयोग मुख्यत: थैलेट ईस्टर्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो प्लास्टीसाइजर्स के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टिक उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन मध्यवर्ती होता है। इसका प्रयोग पेंट और लैकर्स में प्रयोग किए जाने वाले पालियस्टर रेजिन्स और अल्काइड रेजिन्स अनसैचुरेटेड पालियस्टर रेजिन्स, पालियेस्टर पालियोल्स, रंजक एवं पिगमेंट्स है लोजिनेटेड एन्हाइड्राइड्स पालीईथराइमाइड रेजिन्स, आईसैटोनिक एन्हाइड्राइड, कीट प्रतिरोधियों आदि का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

8. थैलिक एन्हाइड्राइड एक आर्गनिक रसायन होता है जिसे सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 19173500 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं तकनीकी गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। दोनों ही उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्तागण इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग अंतनिर्मेय रूप से कर रहे है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" मानते हैं ।

10. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्योरीफाइड टैरेफ्थैलिक एसिड थैलिक एन्हाइड्राइड का एक प्रतिस्थानी है, यह नोट किया जाता है किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह स्पष्ट करने के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि उपभोक्तागण इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग अंतनिर्मेय रूप से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा प्योरीफाइड टैरेफ्थैलिक एसिड और थैलिक एन्हाइड्राइड के संबंध में आयोजित की गई विगत की जांचों में यह सिद्ध नहीं हुआ कि यह दोनों उत्पाद एक दूसरे के प्रतिस्थानी हैं।

घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. घरेलू उद्योग (डीआई) के दायरे एवं उसके आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) सभी घरेलू उत्पादकों के पृथक उत्पादन के संबंध में सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने स्वत: ही यह दावा किया है कि मैसर्स एशियन पेंट्स और मैसर्स एसआई ग्रुप वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं हैं और उन्होंने उसकी उत्पादन की मात्रा प्रदान नहीं कराई है। यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार अथवा साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है क्योंकि कुल उत्पादन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

(ii) मैसर्स आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड ने स्वीकृत रूप से इस संबद्ध वस्तु का आयात दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की जांच शुरूआत अधिसूचना संख्या 14/1/2011-डीजीएडी के अनुसार कोरिया आरपी से किया है। याचिकाकर्ता उसका प्रकटन करने से स्पष्ट रूप से असफल रहे हैं और उन्होंने तथ्यों को भ्रामक रूप से एवं तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है और याचिकाकर्ताओं की सत्य स्थिति को छुपाने का प्रयास किया है।

(iii) मैसर्स एशियन पेन्ट्स लिमिटेड एक बड़ा घरेलू उत्पादक है और उसकी इस संबद्ध वस्तु की बिक्री भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि मैसर्स एशियन पेंट्स प्राथमिकता एक "ग्राही उत्पादक" है, सकल तौर पर भ्रामक एवं गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और उक्त उत्पादक को "घरेलू उद्योग के दायरे से एक-पक्षीय रूप से पृथक नहीं किया जा सकता है।

घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग के दायरे एवं उसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) यह याचिका आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। इस दोनों याचिकाकर्ताओं का सामूहिक आउटपुट भारत में थैलिक एन्हाइड्राइड के कुल उत्पाद के 50 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन बनता है। इसलिए याचिकाकर्ता नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनते हैं।

(ii) याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उतपाद का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का इस कथित वस्तु के आयातकों अथवा निर्यातकों से कोई संबंध नहीं है।

(iii) जहां तक इस बात का संबंध है कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से किसी ने भी अपने वास्तविक उत्पादन आंकड़ों का अप्रकटन किया है, घरेलू उद्योग में शामिल प्रत्येक कंपनी द्वारा कुल उत्पाद के वास्तविक आंकड़ों को प्रदान करना अपेक्षित नहीं होता है। केवल यह सिद्ध करना होता है कि कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन का अनुपात कितना है। याचिकाकर्ता इस प्रतिमान को पूरा करते हैं क्योंकि उनका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक बनता है।

(iv) जहां तक एसआई ग्रुप और एशियन पेंट्स के उत्पादन का संबंध है, संगत आंकड़े प्रदान कर दिए गए हैं और यहां तक कि इस विचाराधीन उत्पाद के एक उपभोक्ता ने भी वर्तमान याचिका का विरोध नहीं किया है।

(v) इस दावे के संबंध में कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने इस विचाराधीन उत्पाद का कोरिया आरपी से आयात किया है; यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद का आयात निर्यात करने वाले का घरेलू उद्योग से अपवर्जन केवल तभी किया जा सकता है कि जब "संबद्ध देश" से कथित आयात/निर्यात किया गया हो। जांच की अवधि के दौरान और उससे पहले भी कोई आयात ही नहीं। याचिकाकर्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद का कोरिया आरपी से आयात हुआ, यह तथ्य आईपीएमए को एक सुज्ञात तथ्य है।

(vi) एशियन पेंट को प्राथमिकता उपभोक्ता होने के कारण अपवर्जित किया गया है और यह याचिका उसके हित के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं ने आधार का निर्धारण करने के लिए एशियन पेंट्स के उत्पादन का अपवर्जन नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

13. प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच निम्नवत की है :

(i) यह याचिका मैसर्स आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों से न तो आयात किया है और न ही उनका संबद्ध देशों में इस उत्पाद के आयात को अथवा निर्यातकों से कोई संबंध है; यह कि इस संबद्ध वस्तु के भारत में तीन अन्य उत्पादक भी हैं अर्थात मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड और एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड,

परंतु एशिया पेंट्स इस उत्पाद का उत्पादन प्राथमिकता अपने ग्राही उपभोग के लिए करता है; यह कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ने उनकी याचिका का समर्थन किया है; यह कि जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पाद के 87 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन बनता है, और यह कि, इसलिए यह याचिका आधार को पूरा करती है और याचिकाकर्ता कंपनियां नियमावली के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग ठहरते हैं। प्राधिकारी ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त तथ्यों और साक्ष्य की जांच करने के पश्चात यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और यह याचिका पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आधार के प्रतिमान को पूरा करती है।

(ii) जहां तक अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि मैसर्स मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एसआई ग्रुप के उत्पादन आंकड़े याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों के अनुरूप वास्तविक आधार पर लिए गए हैं और मैसर्स एशियन पेंट्स के उत्पादन के आंकड़े सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर लिए गए हैं क्योंकि उसके उत्पादन के संबंध में कंपनी द्वारा अथवा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

विवरण	उत्पादन एमटी				हिस्सा (%)			
	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
याचिकाकर्ता	2,07,810	2,08,480	2,13,684	2,11,033	83%	84%	83%	86%
-आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	***	***	***	***
-थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	***	***	***	***
मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन	33,815	32,720	32,412	32,035	13%	13%	13%	13%
- एसआई ग्रुप	***	***	***	***	***	***	***	***
- एशियन पेंट्स	***	***	***	***	***	***	***	***
कुल	2,51,077	2,47,698	2,57,635	2,46,370	100%	100%	100%	100%

(iii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मैसर्स एशियन पेंट्स इस उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक है, यह नोट किया जाता है कि किसी भी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि मैसर्स एशियन पेंट्स का उत्पादन बहुत अधिक होता है। वास्तव में, प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना का प्रेषण इस कंपनी को किया था और सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया था, परंतु कंपनी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इस कंपनी ने वर्तमान याचिका का विरोध भी नहीं किया है। किसी भी घरेलू उत्पादक ने दायर की गई इस याचिका का विरोध नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है।

(iv) यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने इस कथित संबद्ध वस्तु का आयात (संबद्ध देशों) रूस अथवा जापान से नहीं किया है। इसलिए याचिकाकर्ता कंपनियां वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पात्र घरेलू उद्योग है।

विविध मुद्दे

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद पर और उनके द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पादों पर ऐतिहासिक और स्वाभाविक रूप से वर्ष 1999 से ही केवल व्यापार उपचारी संरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिससे कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आयात को अनुचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके और अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए व्यापार उपचारी संरक्षण उपायों पर भरोसा करने के लिए बढ़-चढ़कर अभ्यस्त हो गए हैं। प्राधिकारी को चाहिए कि वह याचिकाकर्ताओं कोई भी राहत प्रदान करने से बचें और वर्तमान जांच को खारिज कर दें।

(ii) ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका में अप्रैल, 2013 को दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के लिए आयातों के साक्ष्य चुनिंदा रूप से केवल रूस और जापान से किए गए आयातों के संबंध में ही प्रदान कराए गए हैं और जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए किए गए आयातों के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान नहीं कराया गया है।

(iii) अत्यधिक गोपनीयता : याचिकाकर्ताओं ने, याचिकाकर्ताओं की अलग-अलग संस्थापित क्षमता, लागत निर्धारण सूचना और उसको तो कम से कम अनुक्रमित किया जाना चाहिए था; सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए प्रयोग किए गए अनुक्रमित लागत निर्धारण आंकड़ों के ब्यौरे के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति; निर्यात कीमत समायोजन की क्रियापद्धति एवं साक्ष्य; याचिकाकर्ताओं समर्थनकर्ता तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की वास्तविक अलग-अलग उत्पादन क्षमता और याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निर्यातकों का मूल्य जैसी सूचना का प्रकटन नहीं किया है।

(iv) सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त ओएक्स की कीमतों के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के संबंध में कोई कारण नहीं दिया है।

(v) आवेदक लागत निर्धारण आंकड़ों का अनुक्रमितीकरण अथवा सार्थक सारांश प्रदान कराने में असफल रहे हैं।

(vi) रूसी परिसंघ को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।

घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। व्यावहारिक रूप से सभी सूचनाओं के लिए गोपनीय के रूप में दावा किया है।

(ii) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने उन अनिवार्य दस्तावेजों जैसे उत्पाद विनिर्देशन का दावा गोपनीय के रूप में किया है जो उपभोक्ता को प्रदान कराए जाने चाहिए।

(iii) आयातकों और निर्यातकों ने कई ऐसे स्थानों पर विभिन्न परिशिष्टों के बजाय खाली पृष्ठ प्रदान कराए हैं जहां उन्होंने गोपनीयता का दावा किया है।

(iv) याचिकाकर्ताओं ने ओएक्स की कीमतों का प्रकटन इस कारण से नहीं किया है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने सीएनवी का प्रकटन किया है, इसलिए विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के लिए घरेलू उद्योग की संपरिवर्तन लागत का निर्धारण करना आसान हो जाएगा, जो व्यवसाय के लिए अत्यधिक संवेदनशील सूचना है और जिसे सारांश रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(v) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग वर्ष 1999 से अनुचित संरक्षण का लाभ उठा रहा है, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को समय-समय पर इस विचाराधीन उत्पाद के लिए संरक्षण हेतु बार-बार मांग करने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि घरेलू बाजार में पाटित आयातों की निरंतर मौजूदगी बनी रही और प्राधिकारी ने इस मामलों में समुचित जांच का आयोजन किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों की जांच और उनका समाधान निम्नवत किया है :

(i) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां कहीं अधिपत्रित हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए

साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल के रूप में रखी गई फाइल में उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई सूचना जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है उसे अगोपनीय सूचना नहीं माना जाएगा।

(ii) इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता अपनी अक्षमताओं को छिपाने के लिए व्यापार उपचारी उपायों का आश्रय ले रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी साधनों की सिफारिश का मार्गदर्शन विधि में निर्धारित पैरामीटरों द्वारा किया जाता है और इन पैरामीटरों का पूरा होने पर ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है। केवल आवेदनपत्र को दायर कर देने मात्र से ही पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण करने की सिफारिश नहीं कर दी जाती है।

(iii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विस्तृत प्रत्युत्तर दायर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार अथवा भारतीय नियमावली में सम्प्रेषण समस्या और भाषा के मुद्दे अथवा अंतर्ग्रस्त दूरी के कारण अतिरिक्त समय देने का प्रावधान नहीं किया गया है। फिर भी, जांच शुरूआत की अधिसूचना और याचिका की प्रति अग्रिम रूप से समय रहते भेजी गई थी।

पाटन का आकलन – क्रियापद्धति और पैरामीटर

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के संबंध में विरोधकर्ता पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए है :

(i) उत्पादन लागत की यथार्थ संरचना करने के उद्देश्य से एक एमटी आर्थोजायलीन की कीमत की तुलना 1.13 एमटी पीएएन की कीमत से करनी चाहिए।

(ii) संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक्जोथर्मिक अनुक्रिया के दौरान उत्पादित बेशी वाष्प/ऊर्जा का या तो विपणन किया जाता है अथवा उसका अन्य उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(iii) प्रत्येक संबद्ध देश में विद्युत की कीमतें तथा अन्य कारक, जो संपरिवर्तन लागत का निर्धारण करते हैं, उस संबद्ध देश में उपगत हुई हैं।

(iv) सामान्य मूल्य के निर्धारण का विधिक रूप से अननुज्ञेय तरीका अपनाया गया जिसके कारण त्रुटिपूर्ण पाटन मार्जिन का निर्धारण हुआ :

i. सामान्य मूल्य रूस और जापान में समान वस्तु की कीमतों पर आधारित होना चाहिए था। आवेदकों ने इस आशय का कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है कि इस क्यों अपनाया गया।

ii. आवेदनकर्ताओं ने रूस में आक्सीलीन की कीमतों का निर्धारण भारत में कच्चे माल की औसत आयात कीमतों के आधार पर और जापान के लिए जापान से संपूर्ण विश्व को कच्चे माल की निर्यात कीमत के आधार पर किया है। सामान्य मूल्य, संबद्ध देशों में कच्चे माल की कीमतों और संबद्ध देशों में संपरिवर्तन लागत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों में उत्पादन लागत पर आधारित होना चाहिए। रूस और जापान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुकत अधिगम में अंतर के लिए किसी तरह का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

iii. कच्चे माल की आयात कीमतों पर आधारित सामान्य मूल्य रूस में सामान्य मूल्य से उच्चतर होने की संभावना है क्योंकि रूस के उत्पादकों द्वारा कच्चा माल स्थानीय स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है और उसके भारत में आयातित कच्चे माल की तुलना में सस्ता होने की संभावना है

iv. आवेदनकर्ताओं ने सामान्य मूल्य की संरचना संबद्ध देशों के लिए आंकड़ों के आधार कतिपय संघटकों का प्रयोग करते हुए किया है जबकि अन्यों का निर्धारण भारत के आंकड़ों के आधार पर किया है।

(v) आवेदकों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि रूस में आर्थोजाइलीन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कम है।

(vi) आवेदकों ने किसी शासकीय नियम अथवा विनियम का संदर्भ प्रदान नहीं कराया है जो उनके इस दावे का समर्थन करता हो कि रूस में आर्थोजाइलीन पर निर्यात कर का उदग्रहण किया जाता है।

(vii) सामान्य मूल्य के किए गए तीन संगणनाओं में आवेदकों ने रूस से आर्थोजाइलीन की एफओबी कीमतों, रूस यूरोप को आर्थोजाइलीन की सीआईएफ कीमतों और दक्षिण पूर्व एशिया से आर्थोजाइलीन की सीएफआर कीमतों का प्रयोग किया है। तथापि, आवेदकगण इन तीनों संगणनाओं में आर्थोनाइलीन की कीमतों का जरूरी समायोजन करने में असफल रहे हैं जिससे कि संबंधित क्षेत्राधिकार की घरेलू बाजार में आर्थोजाइलीन की लागत प्रदर्शित हो सके।

(viii) रूस में निर्यात शुल्क की मौजूदगी आर्थोजाइलीन की उन घरेलू कीमतों की किसी भी रूप में संकेतक नहीं हैं जिनमें विचाराधीन वस्तु का उत्पादन करने और बिक्री करने से जुड़ी लागत प्रदर्शित न होती हो। इस प्रक्रम में सामान्य मूल्य का निर्धारण विशिष्ट उत्पादक अथवा निर्यातक लेखाओं पर आधारित होना चाहिए।

(ix) रूस में आर्थोजाइलीन की कीमत का निर्धारण देश में घरेलू मांग के स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। आवेदकगण घरेलू कीमतों के संबंध में किसी निष्कर्ष पर रूस में आर्थोजाइलीन के लिए घरेलू मांग के स्तर और उसकी नम्यता से संबंधित साक्ष्य प्रदान किए बिना नहीं पहुंच सकते हैं।

(x) प्राधिकारी को संगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि वह आपूर्ति श्रृंखला के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की संगणना काम्टेक्स हिमप्राम और रोसप्लास्ट को उत्पादक के रूप में तथा मिलमैन को निर्यातक के रूप में शामिल करके करे क्योंकि इससे आपूर्ति श्रृंखला संपूर्ण होती है। उरालकेम भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने के लिए मिलमैन की आपूर्ति श्रृंखला का एक भाग नहीं है। इसलिए वर्तमान जांच में उरालकेम की प्रतिभागिता का मिलमैन की आपूर्ति श्रृंखला के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की संगणना करने में उसका कोई प्रभाव नहीं है। काम्टेक्स हिमप्राय द्वारा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में प्रदान कराए गए आंकड़े काम्टेक्स हिमप्राम द्वारा संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन तथा लागत से संबंधित है।

(xi) यह कि काम्टेक्स रोसप्लास्ट से संबंधित है, इसलिए वह इसे संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए सेवाएं प्रदान करने से किसी भी रूप्में प्रतिबंधित नहीं करता है।

घरेलू उद्योग के विचार

18. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए है :

(i) निर्यातकों का प्रश्नावली प्रत्युत्तर रूस में उत्पादन लागत के अनुरूप सही-सही सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में सकल रूप से अपर्याप्त है :

क. यह स्वीकार किया गया है कि ओजेएससी काम्टेक्स हिमप्राम इस उत्पाद का उत्पादन रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी और एलएलीसी उराल केमप्रोम के लिए कर रहा है। परंतु, प्रश्नावली प्रत्युत्तर इस कंपनी द्वारा किए गए कुल उत्पादन पर आधारित नहीं है।

ख. ओजेएससी काम्टेक्स हितप्राम का संबंध रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी से है परंतु फिर भी वह एलएलसी यूराल केमप्रोम के लिए वस्तु विनिर्माण करता है। याचिकाकर्ता इसका कारण समझने में अक्षम है।

ग. ओजेएससी काम्टेक्स हितप्रोम भी अंतिम उत्पाद अर्थात डीओपी का उत्पादन करता है। ओजेएससी काम्टेक्स हिमप्रोम द्वारा डीओपी का उत्पादन करने के लिए थैलिक एन्हाइड्राइड की इसकी ग्राही खपत के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

(ii) घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों को अपनाया है और क्षति मार्जिन तथा माहवार क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए रूस और जापान के लिए पृथक विवरण प्रदान कराए गए हैं।

(iii) प्रतिवादी निर्यातकों ने संपूर्ण प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और इसलिए इन निर्यातकों/उत्पादकों को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(iv) रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु रूस के निर्यातक की कच्चे माल की लागत पर भरोसा आर्थोजाइलीन के निर्यात पर रूस की सरकार द्वारा निर्यात कर का उदग्रहण किए जाने के कारण नहीं किया जा सकता है। रूस में थैलिक एन्हाइड्राइड का उत्पादन करने के लिए आर्थोजाइलीन की कीमतें उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कम होती है।

(v) रूस के उत्पादकों की लागत एवं कीमत इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को युक्तियुक्त रूप से प्रदर्शित नहीं करती है क्योंकि रूसी सरकार आर्थोजाइलीन (मुख्य कच्चे माल) के निर्यात पर निर्यात शुल्क प्रभारित करती है।

(vi) याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य का परिकलन उनके उपलब्ध सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर किया है। चूंकि निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है, इसलिए इस अवस्था पर सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। रूस के उत्पादकों की सम्परिवर्तन लागत दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों की संपरिवर्तन लागत से अधिक है।

(vii) रूस में बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण एलएलसी उराल केम प्रोम द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर और कंपनी द्वारा की गई बिक्रियों की सूचना के बिना नहीं किया जा सकता है।

(viii) प्रतिवादी पक्षकारों का यह तर्क है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए 1 एमटी आर्थोजाइलीन की कीमत की तुलना 1.13 एमटी पीएएन की लागत से की जानी चाहिए, इसमें कोई युक्तिसंगत तर्क और भावना नहीं है और उसकी याचिकाकर्ता ने पूर्णतया अवहेलना कर दी है।

(ix) याचिकाकर्तागण प्रतिवादी पक्षकारों के इस प्रस्तुतिकरण की भी उपेक्षा करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन करने के दौरान अभिक्रिया से उत्पादित अत्यधिक वाष्प/ऊर्जा पर भी सामान्य मूल्य का निर्धारण करेन के लिए विचार करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रक्रम में कोई बेशी विद्युत उत्पादित नहीं होती है और इस प्रक्रम में उत्पादित संपूर्ण विद्युत का उपभोग कर लिया जाता है।

(x) प्रतिवादी पक्षकारों का यह तर्क दुर्भावनापूर्ण है कि इस याचिका में सभी पर्याप्त सूचनाएं नहीं दी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने उनको उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर भरोसा किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां उन्हें यह सुझाव देते हुए प्रेषित कीं कि वे विहित स्वरूप एवं ढंग से सूचना प्रदान करें। तथापि, अधोलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को छोड़कर संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके इस जांच में सहयोग नहीं दिया है। निम्नलिखित कंपनियों द्वारा प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया गया है :

(i) रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी, रूस

(ii) ओजेएससी काम्टेक्स हिमप्रोम, रूस

(iii) मिलमैन लिमिटेड, यूके

20. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस जांच की अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संपूर्ण आंकड़ों का माहवार विश्लेषण किया है।

21. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का आकलन नियमावली के अनुसार उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया है। पहले यह देखा गया कि क्या प्रतिवादी निर्यातक/उत्पादक द्वारा इस संबद्ध वस्तु की उनकी अपनी गृह बाजार में की गई घरेलू बिक्रियां उनकी घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रतिनिधित्व एवं अर्थक्षम है और क्या प्रतिवादियों द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों के अनुरूप व्यापार परीक्षण का सामान्य अनुक्रम पूरा होता है।

22. यह देखा गया कि रोसप्लास्ट इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और उसकी बिक्री नहीं करता है। रोसप्लास्ट और काम्टेक्स हिमप्रोम दोनों ही संबद्ध कंपनियां हैं। काम्टेक्स हिमप्रोप के पास उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध हैं और काम्टेक्स हिमप्रोप इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है। रोसप्लास्ट आर्थोलाइलीन का प्रापण करता है और काम्टेक्स हिमप्रोप को उसकी आपूर्ति करता है। न तो रोस्प्लास्ट और न ही काम्टेक्स हिमप्रोम घरेलू बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद की भारी मात्रा में बिक्री करता है। इसके अतिरिक्त, रोसप्लास्ट ने इस उत्पाद की भारत में उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बिक्री नहीं की है। रोसप्लास्ट ने इस उत्पाद की बिक्री मिलमैन को की और फिर मिलमैन ने इसकी बिक्री विभिन्न देशों में विभिन्न उपभोक्ताओं और आयातकों को की है।

23. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उत्पादन लागत की सही-सही संगणना करने के लिए *** एमटी आर्थोजाइलीन की कीमत की तुलना *** पीएएन की कीमत से करनी चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अंतर्निविष्टियों के उपभोग को हिमप्रोम द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के आधार पर अपनाया है।

रूस के लिए सामान्य मूल्य

ओजेएससी काम्टेक्स हिमप्राप, रूस (उत्पादक) और मिलमैन लिमिटेड, यूके (निर्यातक) के साथ-साथ रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी का सामान्य मूल्य

24. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए करना चाहिए। रूस की सरकार ने थैलिक एन्हाइड्राइड का उत्पादन करने के लिए प्रमुख कच्चे माल आर्थोजाइलीन का निर्यात करने पर निर्यात कर का अधिरोपण किया है। इसके परिणामस्वरूप थैलिक एन्हाइड्राइड का उत्पादन करने के लिए रूस में आर्थोजाइलीन की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में वास्तविक रूप से कम कीमत पर की जाती है और इसलिए इसके परिणामस्वरूप इसकी उत्पादन लागत इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने से जुड़ी तर्कसंगत लागत को प्रदर्शित नहीं करेगी। इसलिए, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुतिकरण करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए इसके कच्चे माल की लागत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

25. रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी, रूस द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रोसप्लास्ट का इस संबद्ध वस्तु अर्थात थैलिक एन्हाइड्राइड (पीएएन) का उत्पादन करने के लिए अपना कोई कारखाना नहीं है। रोसप्लास्ट इस पीएएन का

विनिर्माण करने के लिए इसके मुख्य कच्चे माल आर्थोजाइलीन सहित इसके लिए अपेक्षित किसी भी कच्चे माल का विनिर्माण नहीं करता है। रोसप्लास्ट मुख्य कच्चे माल आर्थोजाइलीन और इसके लिए अपेक्षित कच्चे माल को ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (ओजेएससी) काम्टेक्स हिमप्रोम, जो रोसप्लास्ट की एक संबद्ध कंपनी है (क्योंकि रोसप्लास्ट की काम्टेक्स हिमप्रोम में शेयरधारिता है) नामक एक कंपनी को प्रदान करता है। काम्टेक्स हिमप्रोप, रोसप्लास्ट और काम्टेक्स हिमप्रोम के बीच हुए एक सेवा करार में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रोसप्लास्ट की ओर से संविदा विनिर्माण/जाब कामकार की क्षमता से थैलिक एन्हाइड्राइड का उत्पादन करने में अंतर्ग्रस्त है। काम्टेक्स हिमप्रोम थैलिक एन्हाइड्राइड का उत्पादन करने के पश्चात उसे अपने भांडागार के साथ-साथ रोसप्लास्ट के भांडागार को अंतरित कर देता है। रोसप्लास्ट इस थैलिक एन्हाइड्राइड की संभावित मात्रा और कीमत, पैकिंग के प्रकार और पोतलदान के समय के लिए व्यापारिक कंपनियों से पूछताछ प्राप्त करता है और इस उत्पाद के अंतिकम गंतव्य के लिए देश का संकेत करता है। रोसप्लास्ट एक ओर दक्षिण एशिया की पीए बाजार के लिए आईसीआईएस और प्लैट्स द्वारा उल्लिखित दरों और सभी प्रकार के परिवहन लागत तथा अन्य लागतों को शामिल करते हुए इस उत्पाद की उत्पादन लागत पर भरोसा करके अपने कीमत प्रस्ताव प्रेषित करता है। क्रेता या तो कीमत को स्वीकार कर लेता है अथवा तर्क प्रस्तुत करते हुए उस कीमत को स्वीकार कर लेता है अथवा तर्क प्रस्तुत करते हुए उस कीमत पर डिस्काउंट की मांग करता है। इसके बदले में रोसप्लास्ट सौदे की या तो संपुष्टि कर देता है अथवा उसकी मनाही कर देता है। जब कीमत तय हो जाती है तो दोनों पक्षकारों द्वारा इस संविदा करार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। जहां तक जांच की अवधि के दौरान थैलिक एन्हाइड्राइड की भारत को बिक्री करने का सवाल है रोसप्लास्ट ने एक संविदा करार (प्रदर्श-1), जिसमें बिक्री की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लेख होता है, के अंतर्गत थैलिक एन्हाइड्राइड की बिक्री अपने असंबद्ध व्यापारी/निर्यातक, अर्थात मिलमैन लिमिटेड, यूके को की है। मिलमैन लिमिटेड, यूके, इस श्रृंखला का वास्तविक निर्यातक है, और उसने इस जांच की अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात एक असंबद्ध उपभोक्ता को किया है। इस संबद्ध वस्तु का भारतीय ग्राहकों को पोतलदान प्रत्यक्षत: रूसी पत्तन से किया जाता है।

26. कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान थैलिक एन्हाइड्राइड की घरेलू बिक्री की कोई सूचना नहीं दी है। अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में कंपनी ने न तो अन्य सभी देशों को सौदेवार की गई निर्यात बिक्रियों की जानकारी दी है और न ही उन सभी देशों के नामों की जानकारी दी है जिनको इसने जांच की अवधि के दौरान थैलिक एन्हाइड्राइड का निर्यात किया है, हालांकि घरेलू बिक्रियां न होने के कारण इसने अपने सामान्य मूल्य का दावा अन्य देशों को किए गए निर्यात के आधार पर किया है। अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-2-क में कंपनी ने अन्य देशों को किए गए निर्यातों की कुल मात्रा और उसके कुल मूल्य से संबंधित सूचना प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने भारत के अलावा अन्य देशों को निर्यात करने के लिए समेकित कीमत संरचना प्रदान की हे। सत्यापन के दौरान कंपनी ने यह उल्लेख किया कि उसने थैलिक एन्हाइड्राइड का निर्यात चीन, बेलारूस और मिस्र को किया है। कंपनी से यह कहा किया कि वह अन्य देशों को किए गए निर्यातों का सौदेवार विवरण प्रदान करे और इन सभी सौदों के संबंध में अपने कम्प्यूटर सिस्टम में दावाकृत समायोजन सहित मूल दस्तावेज अथवा अभिलेख दर्शाए। यह कंपनी इनका सत्यापन मूल रिकार्डों से नहीं करा सकी।

27. चूँकि रूस बाजार अर्थव्यस्था बाला देश है इसलिए आर्थोजयलिन की रोस्प्लास्ट की बहियों में रिकॉर्ड की गयी लगत पर विचार किया गया है. इसके अतिरिक्त घरेलु उद्योग ने इस आशय का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि रूस में आर्थोजैलिन की कीमत उचित बाजार कीमत को प्रदर्शित करती है । .इसलिए प्राधिकारी ने रोसप्लास्ट के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इसके कच्चे माल आर्थोजाइलीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, काम्टेक्स हिमप्रोम द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के आधार पर कच्चे माल की खपत; काम्टेक्स हिमप्रोम द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के आधार पर संपरिवर्तन लागत; रोसप्लास्ट और काम्टेक्स हिमप्रोप द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के अनुसार बिक्री एवं सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और ब्याज का अपवर्जन करते हुए फैक्टरी बाह्य लागत पर 5 प्रतिशत के तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर किया है। फैक्टरी बाह्य सामान्य मूल्य का उल्लेख अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

रूस के असहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

28. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रूस के किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। रूस के सभी असहयोगकर्ता निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने सहयोगकर्ता निर्यातक-उत्पादक के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को अपनाया है।

रूस के लिए निर्यात कीमत

ओजेएससी काम्टेक्स हिमप्रोम, रूस और मिलमैन लिमिटेड, यूके के साथ-साथ रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी, रूस

29. रोसप्लास्ट ने जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान भारत को थैलिक एन्हाइड्राइड के निर्यातों के *** सौदों की सूचना दी है जिसमें *** यूएस डालर मूल्य के कुल *** एमटी का निर्यात दर्शाया गया है। इस संपूर्ण मात्रा की बिक्री रोसप्लास्ट द्वारा सीएफआर भारतीय पत्तन आधार पर मिलमैन लिमिटेड नामक एक व्यापारिक कंपनी को की गई थी। मिलमैन लिमिटेड द्वारा भारत के किए गए निर्यात के *** प्रतिशत को रोसप्लास्ट से प्राप्त किया गया था। तथापि, मिलमैन लिमिटेड के पुनर्नुकूल बनाए गए परिशिष्ट-2 से यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने सीएफआर आधार पर *** यूएस डालर के लिए *** एमटी को दर्शाते हुए जांच की अवधि के दौरान भारत को पैन के निर्यातों को *** संव्यवहारों की सूचना दी है। सत्यापन दौरे के दौरान मिलमैन लिमिटेड ने मात्रा में अंतर को दर्शाते हुए एक पुनर्संयोजन विवरण

प्रदान किया। मात्रा पुनसंयोजन विवरण के अनुसार यह पाया गया कि *** एमटी की मात्रा का अंतर खेपों की पहचान रोसप्लास्ट द्वारा बीजक (इनवाइस) तिथि के आधार पर और मिलमैन लिमिटेड द्वारा पोतलदान की तारीख के आधार पर करने के कारण हुआ जिसे मिलमैन लिमिटेड ने अगले वर्ष अर्थात *** में प्रदर्शित किया था। मिलमैन लिमिटेड को की गई सभी बिक्रियां फ्लेक्स के रूप में की गई थी। रोसप्लास्ट ने अंतरदेशीय परिवहन, सीमाशुल्क प्रहस्तन और क्लीयरेंस प्रभारों, समुद्रपार मालभाड़ा और अन्य समायोजनों के कारण हुए व्यय के समायोजन का दावा किया है जिसकी अनुमति दे दी गई। निर्धारित फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत को अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

रूस के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में रूस के किसी भी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। रूस के इन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण प्रत्युत्तरदाता निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई न्यूनतम प्रतिनिधिक निर्यात कीमत और डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में रिपोर्ट की गई आयात कीमत पर विचार करते हुए किया है। निर्यात कीमत का निर्धारण सीएफर के रूप में ***यूएस डालर प्रति एमटी निर्धारित किया गया है। इस सीएफर कीमत का समायोजन निर्याआ तक द्वारा प्रदान कराई गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर किया गया है। रूस के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत को अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

जापान के लिए सामान्य मूल्य

31. चूंकि जापान के किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है और निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से संबंधित वास्तविक सूचना के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जापान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप किया है। तदनुसार, जापान के लिए फैक्टरी बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया गया है - यूएन कामट्रेड आंकड़ों के अनुरूप जापान से विश्व को आर्थोजाइलीन की निर्यात कीमत के अनुसार आर्थोजाइलीन की कीमतें; जापान में यथा-प्रचलित मालभाड़ा, घरेलू उद्योग के सर्वाधिक कार्यकुशल उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर कच्चे माल की खपत और संपरिवर्तन लागत; घरेलू उद्योग के सर्वाधिक कार्यकुशल उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा ब्याज का अपवर्जन करते हुए फैक्टरी बाह्य स्तर पर 5 प्रतिशत की दर से लाभ। प्राधिकारी ने जापान के बारे में तदनुसार ही सामान्य मूल्य की संरचना की है। जापान के लिए इस तरह निर्धारित फैक्टरी बाह्य सामान्य मूल्य अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए के अनुसार है।

जापान के लिए निर्यात कीमत

32. चूंकि वर्तमान जांच में जापान के किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं दिया है और न ही निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है इसलिए प्राधिकारी जापान के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करने का प्रस्ताव करते हैं। जापान के सभी उत्पादकों-निर्यातकों के मामले में निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया है। उचित समायोजन करने के पश्चात इस तरह निर्धारित फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए के अनुरूप है।

पाटन मार्जिन तालिका

33. प्रस्तावित पाटन मार्जिन अधोलिखित तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य(एमटी/ यूएस डालर)	निर्यात कीमत(एमटी/ यूएस डालर)	पाटन मार्जिन (एमटी/ यूएस डालर)	पाटन मार्जिन प्रतिशत	पाटन मार्जिन रेंज
1	रूस	रोसप्लास्ट आओओ एलएलसी, रूस, के साथ-साथ ओजेएससी काम्टेक्स हिमप्रोम, रूस (उत्पादक) और मिलमैन लिमिटेड, यूके (निर्यातक)	***	***	***	***	5-15
2	रूस	अन्य सभी	***	***	***	***	10-20
3	जापान	सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	10-20

34. यह स्पष्ट है कि पाटन मार्जिन अत्यधिक पर्याप्त है तथा वह नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमा से बहुत ज्यादा है।

क्षति का आकलन

उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

35. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) लागू आधारभूत सीमाशुल्क का संवेदनशील निर्धारक समान संबद्ध वस्तु के लिए रूस से आयातों तथा जापान से आयातों के लिए भिन्न-भिन्न है; क्योंकि जापान और रूस से आयातित वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तें पूर्णतया असमान हैं। जापान और रूस दोनों से आयातों का संचयी परीक्षण करना त्रुटिपूर्ण है।

(ii) यह जांच करने के लिए कि क्या आवेदक को कोई वास्तविक क्षति हुई है थैलिक एन्हाइड्राइड के अवकलजों के निष्पादन का मूल्यांकन करना भी अनिवार्य है। यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या थैलिक एन्हाइड्राइड का अंतरण आंतरिक रूप से आर्म्स लेंग्थ पर किया जा रहा है – क्योंकि इससे संबद्ध उत्पाद की वास्तविक समग्र लाभप्रदता प्रदर्शित होगी। प्राधिकारी को आवेदकों के मूल्य वर्धित उत्पादों और खासकर अनुप्रवाही अवकलजों की क्षमता के संबंध में व्यवसाय व्यवहार की जांच करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या क्षति अवधि के दौरान अवकलजों का उत्पादन करने में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है।

(iii) प्राधिकारी को मात्रा प्रभाव की जांच करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत भारत को संबद्ध वस्तु के किए गए सभी आयातों का अपवर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए सभी आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने में समक्ष नहीं होते हैं। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातित संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य आयातों पर संदत्त शुल्क के उतराई मूल्य की तुलना में न्यूनतर होता है और इसलिए प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं की गैर-क्षतिकारी कीमत और निवल बिक्री प्रापण के साथ संदत्त शुल्क के आयातों के उतराई मूल्य की जांच करनी चाहिए।

(iv) मांग में कमी होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्रियों तथा बाजार हिस्से में निरंतर वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों से आयात बहुत कम है तथा यह कुल भारतीय मांग का केवल 5 प्रतिशत हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया दावा निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण है।

(v) प्योरीफाइड टैरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए) थैलिक एन्हाइड्राइड के लिए एक व्यवहार्य प्रतिस्थानी है। भारत में पीटीए की मांग में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप थैलिक एन्हाइड्राइड की मांग में कमी आई है जो कतिपय अनुप्रयोगों में पीटीए द्वारा प्रत्यक्षत: प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(vi) क्षमता उपयोग का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में इसमें मामूली सी गिरावट आई है परंतु यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने इसको कई बाह्य कारकों से स्वयं उपगत किया है।

(vii) तथापि, आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड की क्षमता में वर्ष 2013-14 में भारी वृद्धि हुई है। आईजी पेट्रोकैमिकल्स उच्च दर पर प्रचालन करने में सक्षम है। घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग में प्रदर्शित की गई कोई भी गिरावट थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड के कारण हुई है जो संभारतंत्रीय दिक्कतों के कारण अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ है।

(viii) आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड की निरंतर उच्च प्रचालन दरों और आवस्थानिक लाभ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह न्यूनतर प्रचालन संभारतंत्रीय और श्रम लागत उपगत करता है। वास्तव में आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कच्चे माल की खरीद घटी हुई लागत पर करता है क्योंकि थैलिक एन्हाइड्राइड उद्योग को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ताओं में से एक आपूर्तिकर्ता आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के निकट ही अवस्थित है। यह सब लाभ थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड को उपलब्ध नहीं है।

(ix) याचिकाकर्ताओं की बिक्री मात्रा और बिक्री कीमत में, घरेलू मांग में गिरावट होने के बावजूद क्षति अवधि में बढ़ोतरी हुई है।

(x) जांच की अवधि में प्रदर्शित स्पष्ट भारी गिरावट मैसर्स आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा किए गए "असाधारण खर्चों" के कारण आई है और यह स्पष्टतया त्रुटिपूर्ण है। आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड की "वित्त लागत एवं आपवादिक मद से पूर्व सामान्य क्रियाकलापों से लाभ" में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रेषण किया जा सकता है कि वर्ष 2013-14 में वित्त लागत वर्ष 2012-13 की वित्त लागत की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। इसके अतिरिक्त, विनिमय घाटा जैसे कुछ आपवादिक खर्चों और असाधारण खर्चों को घाटा दर्शाने के लिए जोड़ दिया गया है जबकि उसकी स्थिति स्पष्टतया लाभप्रद थी।

(xi) यद्यपि क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, तथापि, उसके अनुरूप ही उनकी बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्ष 2010-11 की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री लागत में भारी वृद्धि क्यों हुई है। इसलिए स्पष्टत: कोई कीमत निग्रहण/ अवमंदन नहीं हुआ है।

(xii) ऐसी प्रेक्षा की गई है कि क्षति अवधि में उत्पादकता की प्रवृत्ति सकारात्मक रही है।

(xiii) स्टॉक में वृद्धि निर्यात में कमी होने के कारण हुई है। याचिकाकर्ता वास्तविक निर्यात का प्रकटन करने में असफल रहे हैं।

(xiv) सरकार की नीति में परिवर्तन का प्रभाव उद्योग पर पड़ा है :

क. घरेलू उद्योग को उच्चतर स्तर का संरक्षण प्राप्त हुआ है क्योंकि सीमाशुल्क काफी अधिक 30 प्रतिशत की दर पर था। अब उसे घटाकर 7.5 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया गया है।

ख. जापान से संबद्ध वस्तु के आयात पर भारत-जापान सीईपीए के अंतर्गत अधिमानी प्रशुल्क लगता है। लागू सीमाशुल्क में कमी कर देने से जापान से आयातों में बढ़ोतरी हुई है।

(xv) याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों में कई अन्य कारकों को अभिज्ञात किया है और स्वीकार किया है जिसका उन पर प्रभाव पड़ रहा है और वस्तुत: जिसने उन्हें क्षति अवधि के दौरान प्रभावित किया है जैसे प्रतिलोमित शुल्क संरचना, सरकार की नीतियां, क्रूड ऑयल की संवर्धित कीमतें और फोरेक्स में उतार-चढ़ाव।

(xvi) याचिकाकर्ताओं का विगोपन न केवल अधिप्रापण और आपूर्ति संबंधी संभारतंत्रीय अवरोधों के जोखिम से हुआ बल्कि परंतु भारत में एकमात्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कच्चे माल की बढ़ती लागत अथवा अन्य एकाधिकारवादी गतिविधियों के कारण भी कीमत निर्धारण दबाव के प्रति भी उनका विगोपन हुआ है।

(xvii) प्राधिकारी को यह जांच करना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित समायोजन योजना को वास्तव में अपनाया है और क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा दावाकृत क्षति उनकी निरंतर अकुशलता के कारण हुई है जिसका उन्होंने अक्षमता के समान क्षेत्रों द्वारा उपरोपित स्व-अर्जित क्षति का और उस समायोजन योजना में अभिज्ञात किए गए घाटे का सामना करते समय अपनी समायोजन योजना में उल्लेख किया है।

(xviii) याचिका के अनुबंध 2.1 में संलग्न मैसर्स मैसूर पेट्रोकैमिकल्स का संकल्प असंदिग्ध रूप से यह उल्लेख करता है कि उसके संयंत्र के बंद होने का मुख्य कारण संपरिवर्तन लागत बहुत अधिक होना रहा है और इसलिए वह प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में अक्षम है। अत:, भारतीय उद्योग की अकुशलता ही उसे क्षतिकारित कर रही है।

(xix) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध वस्तु की कीमत में गंभीर उतार-चढ़ाव होगा उसका प्लास्टीसाइजर्स विनिर्माताओं तथा अन्य निर्भर अनुप्रवाही उद्योगों की लागत पर प्रत्यक्ष विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, यह अंतिम प्रयोक्ता उद्योग को पूर्णतया अव्यवहार्य बना देगा और उसे भारी क्षति होगी तथा हो सकता है कि इसके परिणामस्वरूप कुछ संयंत्र बंद भी हो जाए।

(xx) विदेश स्थित देशों में थैलेट प्लास्टीसाइजर्स के उत्पादक आर्थोजाइलीन और आक्सो-अल्कोहल्स, थैलिक एन्हाइड्राइड तथा थैलेट प्लास्टीसाइजर्स की एकीकृत विनिर्माता यूनिटों के रूप में कार्य करती है और वे भारतीय यूनिटों की तुलना में अधिक सस्ती होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से थैलेट प्लास्टीसाइजर्स के विदेशी निर्यातकों को भारी मात्रा में निर्यात करने का अवसर मिल जाएगा और इससे थैलेट प्लास्टीसाइजर्स के घरेलू विनिर्माताओं को सकल क्षति कारित होगी।

(xxi) जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल आर्थोजाइलीन के आयातों पर आधारभूत सीमाशुल्क 5 प्रतिशत की दर से था, जबकि इस विचाराधीन उत्पाद पर आधारभूत सीमाशुल्क 7.5 प्रतिशत की दर से है। बजट 2014-15 में आर्थोजाइलीन पर आधारभूत सीमाशुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया जो प्रभार करने योग्य शुल्क का 50 प्रतिशत है। इसलिए वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की कोई जरूरत नहीं है।

(xxii) आयातों का बाजार हिस्सा इतना अधिक नहीं है कि उससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना हो। यह ऋणात्मक प्रभाव अन्य घरेलू उत्पादकों तथा उन देशों के कारण है जिनपर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है।

(xxiii) घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

(xxiv) क्षमता में वृद्धि सकारात्मक मौजूदा और भावी निष्पादन का स्पष्ट संकेत है। इसके अतिरिक्त वेतन एवं उत्पादकता में और अधिक सुधार होना सकारात्मक निष्पादन का परिणाम है।

(xxv) आईजी पेट्रो ने क्षति अवधि के दौरान अपने लाभ में सतत वृद्धि की है।

(xxvi) संबद्ध देशों द्वारा कोई अधिक कीमत अधोरदन नहीं किया गया है क्योंकि कीमत अधोरदन की रेंज संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान 0.10 प्रतिशत बनी रही।

(xxvii) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बिक्री लागत के लगभग बराबर ही वृद्धि हुई है और इसलिए, कोई कीमत निग्रहण अथवा कीमत अवमंदन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

(xxviii) आवेदकों ने वास्तविक क्षति की चुनौती का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कराया है।

(xxix) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद उन देशों से आयातों में वृद्धि हुई है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था और उसका घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पड़ लगा था और उसका घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है इसलिए उसकी जांच की जानी चाहिए।

(xxx) कच्चे माल की बढ़ती कीमत ने टीसीएल के घटते मार्जिन में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा कच्चे माल के एकल आपूर्तिकर्ता अवस्थित होने के कारण इसके मार्जिनों पर प्रभाव पड़ा है।

(xxxi) टीसीएल के अवस्थानिक नुकसान के कारण टीसीएल को भारी क्षति होने में योगदान दिया है।

(xxxii) आईजी पेट्रो न्यूनतम लागत पर उत्पादन करता है और वह सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और उसे स्थानिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। टीसीएल को पाटन के अलावा अन्य कारकों से भी क्षति हो रही है।

(xxxiii) एमपीसीएल का बंद होना, आईजी पेट्रो और टीसीएल जैसे बड़े घरेलू उत्पादकों से तीव्र प्रतिस्पर्धा होने का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, उनका संयंत्र पश्चिमी क्षेत्र से काफी दूरी पर अवस्थित था।

(xxxiv) घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा का संबद्ध होती रही है। नकद लाभ और पीबीआईटी में कमी निवेशों के परिशोधन, विस्तार परियोजनाओं के लिए अपेक्षित उधार से ब्याज और असाधारण खर्चों के परिणामस्वरूप आई है।

(xxxv) आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड का निष्पादन संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान बहुत अच्छा रहा है।

(xxxvi) आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड का निष्पादन संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान बहुत अच्छा आई है।

(xxxvii) प्राधिकारी को चाहिए कि वह थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड ("टीसीएल") और आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (आईजीपीएल) से क्षति अवधि और जांच की अवधि (पीओआई) दोनों के लिए दोनों कंपनियों के संयुक्त आंकड़ों के बजाय क्षति संबंधी अलग-अलग आंकड़े प्रदान कराने का अनुरोध करें, क्योंकि आईजीपीएल के सकारात्मक कार्यनिष्पादन को टीसीएल के संगत रूप से कम सकारात्मक कार्यनिष्पादन से आच्छादित कर दिया गया है।

(xxxviii) टीसीएल के कार्यनिष्पादन पर कोई भी ऋणात्मक प्रभाव उन आयातों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था तथा समान उत्पाद के अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ अन्य कारकों का परिणाम था।

(xxxix) जांच की अवधि के दौरान उत्पाद में गिरावट महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके अतिरिक्त, आईजीपीएल ने विगत वर्श की तुलना में वर्ष 2013-14 में अपने उत्पादन वृद्धि कर दी थी।

(xl) ब्रिकी मात्रा में गिरावट होने के बावजूद आवेदनकर्ताओं के बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आईजीपीएल के विक्रय मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है जैसाकि आंकड़ों से स्पष्ट है। आईजीपीएल के विक्रय मूल्य में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई है।

(xli) आईजीपीएल का क्षमता उपयोग बहुत उच्च स्तर का बना रहा और इसके संयंत्र के सकारात्मक निष्पादन के आधार पर इसने थैलिक एन्हाइड्राइड का एक तीसरा संयंत्र लगाकर अपनी क्षमता में और अधिक विस्तार करने की योजना बनाई है।

(xlii) घरेलू उत्पादन से संबंधित मालसूची संपूर्ण क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौराना स्थिर रही है।

(xliii) आईजीपीएल की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार वह विश्व में न्यूनतम लागत पर थैलिक एन्हाइड्राइड का उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है और इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईजीपीएल के लिए संगणना की गई गैर-क्षतिकारी कीमत इस समान उत्पादन के अन्य घरेलू उत्पादकों की तुलना में कम होगी।

(xliv) क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान आईजीपीएल के कार्यनिष्पादन में और खासकर इसके उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, क्षमता एवं सकल लाभ में सुधार हुआ है। आईजीपीएल के लाभ में क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान निंरतर वृद्धि हुई है, इसलिए संबद्ध देशों से आयात ने आईजीपीएल की कीमतों का निग्रहण अथवा अवमंदन नहीं किया है अथवा उसके परिणामस्वरूप आईजीपीएल की कीमतों का अधोरदन अथवा कीमत अधोविक्रयण नहीं हुआ है। आईजीपीएल को संगत विधिक प्रावधानों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षति नहीं हो रही है। प्राधिकारी को चाहिए कि वह आईजीपीएल और टीसीएल दोनों के लिए अलग-अलग क्षति विश्लेषण का आयोजन कर ने कि संयुक्त आंकड़ों के आधार पर।

(xlv) आवेदकों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कराया है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास पर्याप्त अनप्रयुक्त क्षमताएं हैं और इसके अतिरिक्त, यह कि संबद्ध देशों के निर्यातक भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं।

(xlvi) टीसीएल और मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड दोनों ने अभिव्यक्त रूप से अपने ऋणात्मक निष्पादन को प्रतिस्पर्धात्मक अलाभ के साथ-साथ आईजीपीएल पर उपरोपित किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

36. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) आयातों में अबाधित रूप से वृद्धि हुई है। वास्तव में, आयातों में प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ii) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों में संचयी और व्यक्तिगत दोनों ही रूपों में अबाधित वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(iii) आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

(iv) संबद्ध देशों से आयात देश में इस उत्पाद की कीमतों में भारी निग्रहण इस सीमा तक हो रहा है कि उसे भारी वित्तीय घाटा सहन करना पड़ रहा है।

(v) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोविक्रयण कर रहे हैं। यह तथ्य गैर-क्षतिकारी कीमत और आयातों की उतराई कीमत के बीच भारी अंतर से स्पष्ट है।

(vi) क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री, मालसूची, बाजार हिस्सा, लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है।

(vii) घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2012-13 में इजरायल, कोरिया तथा ताईवान पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने से सुधार हुआ था। तथापि, इस उत्पाद के पाटन के नए स्रोत से घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उस सीमा तक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में एक बार पुन: उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ और जांच की अवधि में निवेश पर प्रतिलाभ में भारी गिरावट आई है।

(viii) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं। आयातों का प्रवेश ऐसी कीमतों पर हो रहा है कि उससे और भी अधिक आयात में वृद्धि होने की संभावना सुदृढ़ हो जाती है।

(ix) विदेशी उत्पादकों के पास भारी अप्रयुक्त क्षमता है। उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि विदेशी उत्पादकों के पास अपने संयंत्रों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए अपने माल की बिक्री करने, चाहे वह पाटित कीमतों पर ही क्यों न हों, के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

(x) यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि निम्नलिखित कारकों से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण ही कारित हुई है :

क. घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा पेशकश की जा रही कीमतों के बीच भारी अंतर है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भारी कमी आई है। अत:, बिक्री मात्रा में यह गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

ख. आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमतों को बुरी तरह से अधोरदन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लागात वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने से निवारित किया गया है।

ग. लाभ में गिरावट और उसके उत्तरवर्ती घाटे, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ तथा नकद लाभ में घाटा होना इन पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

घ. संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ङ. कई पैरामीटरों के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक हो गई है।

(xi) घरेलू उद्योग को कोरिया आरपी, ताइवान और इजरायल से भारी पाटन के कारण क्षति हो रही थी, एक जांच के पश्चात घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए इन देशों से हो रहे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर दिया गया। तथापि, घरेलू उद्योग फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि घरेलू बाजार पाटित आयातों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकी। इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात भारत की इस विस्तृत बाजार का लाभ उठाते हुए रूस और जापान ने पाटन करना प्रारंभ कर दिया।

(xii) घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद इन संबद्ध देशों से आयातों से पाटित कीमतों पर भारी वृद्धि हो रही है। घरेलू उद्योग अभी भी पिछले पाटन के प्रभाव से उबर भी नहीं पाया है ओर इसलिए वर्तमान पाटन पहले से ही इसकी नाजुक स्थिति को और भी अधिक नाजुक बना रहा है।

(xiii) भारतीय बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में मामूली सी गिरावट हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि हुई है, इससे पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो रहा है।

(xiv) आयातों में अबाधित रूप से तथा मांग के संगत रूप से, दोनों तरह से वृद्धि घरेलू उत्पादन और कुल आयात पर्याप्त से अधिक रहे हैं और घरेलू उद्योग की तुलना में बहुत अधिक है।

(xv) जहां तक बिक्री कीमत में होने वाली वृद्धि के तर्क का संबंध है, यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि यद्यपि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात देश में उत्पाद की कीमतों भारी मात्रा में निग्रहण कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग के बेहद वित्तीय घाटा हो रहा है।

(xvi) याचिकाकर्ता प्रतिवादी पक्षकारों के इस तर्क का विरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में "मामूली" सी गिरावट आई है। यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। उपभोगिता का यह स्तर विगत वर्श की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। जहां तक थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड की कथित संभारतंत्रीय दिक्कतों का सवाल है यह प्रसुतुतिकरण किया जाता है कि विरोधकर्ता पक्षकारों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया हे कि थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड को संभारतंत्रीय दिक्कतों के कारण क्षति हुई है।

(xvii) घरेलू उद्योग की मालसूची में संपूर्ण अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को अपनी मालसूचियों का संग्रहण होने से बचाने के लिए निर्यात का सहारा लेना पड़ा।

(xviii) जहां तक मैसूर पेट्रोकैमिकल्स के बंद होने का प्रश्न है, इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कंपनी इस जांच का हिस्सा नहीं है और इस कारण इस समावेशन आवश्यक नहीं है। पाटन इतना अधिक था कि यह कंपनी अपनी कीमतें आयात कीमतों के स्तर तक कम करने और अपना व्यवसाय चालू रखने में अक्षम थी। इसलिए बोर्ड ने अपना संयंत्र बंद करने का निश्चय किया।

(xix) बाजार हिस्सा, उत्पादन, बिक्री क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ के रूप में घरेलू उद्योग का प्रतिलोभित विकास हुआ।

(xx) प्रतिवादी पक्षकारों के तर्क के विरूद्ध यह अपेक्षित नहीं है कि पीएएन के अवकलजों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाए।

(xxi) प्रतिवादी पक्षकारों का यह तर्क कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयात पाटनरोधी शुल्क जांच के दायरे के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, त्रुटिपूर्ण है। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों से भी घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। इन आयातों में अंतर केवल यह होता है कि सरकार को यह विवेकाधिकार प्राप्त होता है कि वह इन आयातों का शुल्क अधिरोपित करें या नहीं। इस कारण, अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों को घरेलू उद्योग को यथातथ्य क्षति का निर्धारण करने के लिए समावेशित करना पूर्णतया न्यायोचित है।

(xxii) याचिकाकर्ताओं ने, प्रतिवादी पक्षकारों के दावे के विपरीत; घरेलू उद्योग की स्थिति में भयावह गिरावट का निर्धारण करने के लिए आईजी पेट्रोकैमिकल्स द्वारा उपगत "अतिरिक्त खर्चों" का अपवर्जन किया है।

(xxiii) प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए दावों के अनुसार घरेलू उद्योग को अनुप्रवाही उद्योगों की प्रकल्पना के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए बिना लगातार क्षति का सामना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(xxiv) जहां तक थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड की अलाभकर अवस्थिति के कारण उसे क्षति होने का प्रश्न है, इस संबंध में यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि प्रतिवादी पक्षकारों ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि थिरूमलाई की अलाभकर अवस्थिति के कारण उसे उपलब्ध कच्चे माल की कीमत की तुलना आईजी पेट्रोकैमिकल्स को कम कीमत पर कच्च माल उपलब्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रेक्षण इस कारण से भी असंगत हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावाकृत क्षति विपरीत कीमत प्रभाव के कारण दावा की गई है।

(xxv) उच्चतर या न्यूनतर सीमाशुल्क का अधिरोपण करने से प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के विपरीत, किसी वस्तु के पाटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(xxvi) प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जापान से आयातों में वृद्धि एक करार (सीईपीए) के कारण हुई है। परंतु कोई भी करार पाटन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है।

(xxvii) जहां तक वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए तथ्य क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट के संदर्भ में नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी की चिंता क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन के संबंध में है। तथापि, वार्षिक रिपोर्टों पर प्रकाश केवल विचाराधीन अवधि के लिए ही डाला गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की चिंता केवल घरेलू प्रचालनों से ही संबंधित है जबकि वार्षिक रिपोर्टों का संबंध कंपनी के समग्र प्रचालन से है। शेयरधारक और पणधारक वर्ष के दौरान न केवल कार्यनिष्पादन से ही अवगत होने रूचि प्रदर्शित करते हैं बल्कि वे इस कार्यनिष्पादन के कारण भी जानना चाहते हैं।

(xxviii) कोई एकाधिकारवादी स्थिति नहीं है, जैसाकि प्रतिवादी पक्षकारों ने दावा किया है। घरेलू उद्योग कच्चे माल की खरीद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित दरों पर ही की है।

(xxix) संबद्ध देशों से आयातों की कुल बाजार की मांग में केवल पांच प्रतिशत के हिस्से को कम नहीं कहा जा सकता है जैसाकि प्रतिवादी पक्षकारों ने दावा किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

37. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग तथा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है और उसका रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा अनुप्रयोज्य विधि पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। यद्यपि, अधिकांश मुद्दे उन तथ्यों एवं आंकड़ों से संबंधित हैं जिनका क्षति विश्लेषण में वस्तुत: निराकरण कर दिया गया है, फिर भी विशिष्ट प्रस्तुतिकरणों की जांच एवं उनका निराकरण निम्नवत किया जाता है।

(i) जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का सवाल है कि अनुप्रयोज्य आधारभूत सीमाशुल्क रूस से आयात और जापान से आयात के बीच अलग-अलग है और जापान तथा रूस से आयातित वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तें पूर्णतया असमान हैं, इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-II स्पष्टत: यह उल्लेख करता है कि प्रतिस्पर्धा की शर्त का विश्लेषण आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच किया जाना चाहिए न कि आयातित वस्तुओं के बीच। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार इन आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन किया है। यह नोट किया जाता है कि (i) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली में विहित सीमा से अधिक है; (ii) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा विहित सीमा से अधिक है; और (iii) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समान वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करती है।

(ii) जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का सवाल है थैलिक एन्हाइड्राइड के अवकलजों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच एक उत्पाद विशिष्ट जांच है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद थैलिक एन्हाइड्राइड है, न कि उसके अवकलज।

(iii) जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि प्राधिकारी को क्षति जांच करते समय अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए शुल्क मुक्त आयातों का अपवर्जन कर देना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों के लिए यह नहीं माना जा सकता है कि उनका घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकृतीकरण धारक को यह विकल्प उपलब्ध होता है कि वह अंतर्निविष्टियों का आयात शुल्क मुक्त आधार पर करे अथवा किसी अन्य तंत्र का प्रयोग करते हुए उसका प्रापण स्वदेशी स्रोत से करे। क्षति विश्लेषण का प्रयोजन घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन करना और उसकी जांच करना है। इसलिए, क्षति विश्लेषण के लिए शुल्क मुक्त आयातों का अपवर्जन कर देना युक्तियुक्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयात किसी उपभोक्ता द्वारा करों एवं शुल्कों का भुगतान किए जाने के पश्चात आयात की गई किसी वस्तु की कीमत के लिए बेंचमार्क के रूप में होते है। यह विचार करना उपयुक्त नहीं होगा कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं करते हैं।

(iv) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध देशों का निर्यात कुल भारतीय मांग का केवल 5 प्रतिशत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में 5 प्रतिशत बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने के लिए पर्याप्त है।

(v) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आईजी पेट्रोकैमिकल्स उच्च दर पर प्रचालन करने में सक्षम है और घरेलू उद्योग दर्शाई गई क्षमता उपयोग में कोई भी गिरावट थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड के कारण आई है जो संभारतंत्रीय दिक्कतों के कारण अपनी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम नहीं रही है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग

(थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड और आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड को मिलाकर बने) को जांच की अवधि में क्षति पाटन के कारण हुई है। इसलिए, क्षति होने को न्यूनतर क्षमता उपयोग को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(vi) जहां तक थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड के अवस्थानिक अलाभ का तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से आयोजित करना होता है न कि किसी व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों के लिए अलग-अलग। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को क्षति आयातों का लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ आदि पर विपरीत प्रभाव के कारण देखी जाती है जहां क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के दोनों उत्पादकों के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है। यह वह मामला नहीं है जहां केवल थिरूमलाई कैमिकल्स के लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आई हो। आईजी पेट्रोकैमिकल्स के निष्पादन में भी लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ में भी गिरावट प्रदर्शित हुई है। जहां तक क्षति अवधि के दौरान मैसर्स आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा किए गए "असाधारण खर्चों" के कारण जांच की अवधि के दौरान गिरावट के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन लागत, लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ का निर्धारण करते समय इन खर्चों का अपवर्जन कर दिया गया था।

(vii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सरकार की नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर पड़ा है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि इस तर्क के संबंध में कोई प्रभाव नहीं दिया गया है कि सरकार की नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव से वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति किस तरह कारित की गई है।

(viii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उनके कार्यनिष्पादन में गिरावट के लिए अन्य कारक उत्तरदायी हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एतद्-अंतर्गत किया गया क्षति विश्लेषण यह सिद्ध करने के लिए स्वत: स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटन के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों जैसे सार्वजनिक विवरण से इस निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं आता है कि इस उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को क्षति में अपना योगदान दिया है।

(ix) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि क्या याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित समायोजन योजना को वास्तव में अपनाया है और क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई क्षति उनकी सतत अकार्यक्षमता के कारण हुई है जैसा कि उनकी समायोजन योजना में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग की अकार्यकुशलता को ध्यान में रखा गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में यह गिरावट समायोजन योजना को न अपनाने के कारण संभव नहीं हो सकती है। कथित समायोजन योजना से तो घरेलू उद्योग और भी अधिक लागत प्रभावी बनेगा। तथापि, पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के संबंध में उसी रूप से विचार करना अपेक्षित होता जिस रूप में वह मौजूद है और यह जांच करनी होती है कि क्या घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर विचार आदर्श परिस्थितियों के संदर्भ में न करके घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है।

(x) जहां तक मैसर्स मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के विघटन का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसूर पेट्रोकैमिकल्स घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं है और इसलिए क्षति का यह निर्धारण मैसूर पेट्रोकैमिकल्स की क्षति पर आधारित नहीं है।

(xi) जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण इस संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित किए गए उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है और उसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव हो सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क द्वारा भारतीय बाजार में पक्षपातरहित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर तब, जबकि पाटनरोधी शुल्क के उद्ग्रहण को एक ऐसी सीमा तक प्रतिबंधित कर दिया जाए जो राशि घरेलू उद्योग की क्षति का प्रशमन करने के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर करेगा, घरेलू उद्योग को पतन से निवारित करेगा और इस संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं/उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

(xii) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण उन देशों से इस संबद्ध वस्तु का आयात होना है जिन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन कई स्रोतों से एक साथ हो सकता है। पाटनरोधी साधन का उद्देश्य पाटन के स्रोत को अभिज्ञात करना और पाटन के प्रभाव को उस सीमा तक निष्क्रिय करना है जिससे घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर सृजित हो सके। पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगे देशों से मौजूदा आयात पर उस सीमा तक पाटनरोधी शुल्क लगा था, जिस तक प्राधिकारी ने पाटन की स्थिति पाई है।

(xiii) जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा ही उनकी क्षति के लिए उत्तरदायी है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि स्वस्थ बाजार परिस्थिति में उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियम विरूद्ध नहीं कहा जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि जहां कहीं किसी घरेलू बाजार में किसी विचाराधीन उत्पाद के एक से अधिक उत्पादनकर्ता होते हैं, वहां उनके बीच कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिस्पर्धा अवश्य होती है। कुछ स्तर की घरेलू प्रतिस्पर्धा मौजूद होने के बावजूद भी, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों के संबंध में वास्तविक रूप में गिरावट आई है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा उस सीमा तक बढ़ गई है कि उससे पाटन और सहन की गई परिणामी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध टूट गया है।

(xiv) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि किसी ऐसे मामले में जहां किसी उत्पाद के एक से अधिक देशों से हो रहे आयातों पर पाटनरोधी जांच एक साथ ही जा रही हो तो प्राधिकारी इन आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन तब करेंगे जब वह यह निर्धारित करते हैं कि :

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त प्रतिशत दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (अथवा उससे अधिक) है, अथवा जहां व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां समान वस्तु के आयात सामूहिक रूप से कुल आयातों का सात प्रतिशत आयात बनते है; और

ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा।

(xv) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

क. संबद्ध वस्तु का भारत में संबद्ध देशों से पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा व्यक्तिगत रूप से आयातों की कुल मात्रा का तीन प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन करना उपयुक्त है क्योंकि सम्बद्ध देशों से भारतीय बाजार में आयात पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटित आयातीत वस्तु एवं भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की गई समान वस्तु के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति है।।

38. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातों से संचयी रूप से करना उपयुक्त होगा।

39. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की जांच पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार करते हुए की है।

40. नियमावली में यह अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी क्षति की जांच मात्रा एवं कीमत प्रभाव दोनों की जांच करते हुए करेंगे। क्षति के निर्धारण (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इन पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की उद्देश्य परक जांच करना अंतर्ग्रस्त होता है। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में उत्पादन अथवा भारत में खपत के संगत रूप से अथवा अबाधित रूप से भारी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों के प्रभाव से कीमतों में भारी मात्रा में निग्रहण होगा अथवा यह कीमतों में होने वाली उस वृद्धि को प्रतिनिवारित करेगा जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुई होती।

41. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उन सभी संकेतकों पर विचार किया गया है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन एवं उसकी मात्रा आदि।

मात्रा प्रभाव

मांग

42. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर विचार किया है। संबद्ध वस्तु की मांग का निर्धारण इस विचाराधीन उत्पाद का सभी देशों से आयातों के साथ घरेलू समान उत्पाद की घरेलू बिक्रियों को जोड़कर किया गया है। इसे सारांश में निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है :

विवरण	**मापन की इकाई**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
मांग					
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	183,405	180,050	193,033	190,482
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	43,197	39,457	43,675	35,675
संबद्ध देश	एमटी	1,213	2,963	5,981	15,089
रूस	एमटी	1,213	2,648	3,547	11,667
जापान	एमटी	-	315	2,434	3,422
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है	एमटी	43,014	31,167	32,994	34,241
अन्य देश	एमटी	5,400	4,518	5,232	1,108
कुल	एमटी	276,229	258,154	280,915	276,596

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु की मांग में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित हुई है हालांकि विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें मामूली सी गिरावट आई है।

आयात मात्रा एवं संबद्ध देशों का हिस्सा

44. डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए क्षति अवधि के लिए आयात मात्रा निम्नलिखित है :

आयात मात्रा	**यूनिट**	2010-11	2011-12	2012-13	**जांच की अवधि**
संबद्ध देश	एमटी	1,213	2,963	5,981	15,089
-रूस	एमटी	1,213	2,648	3,547	11,667
-जापान	एमटी	-	315	2,434	3,422
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है	एमटी	43,014	31,167	32,994	34,241
अन्य देश	एमटी	5,400	4,518	5,232	1,108
कुल आयात	एमटी	49,626	38,647	44,207	50,438
आयातों में निम्नलिखित का बाजार हिस्सा :					
-रूस	%	2%	7%	8%	23%
-जापान	%	0%	1%	6%	7%
संबद्ध देश	%	2%	8%	14%	30%
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है	%	87%	81%	75%	68%
अन्य देश	%	11%	12%	12%	2%
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					

-कुल आयात	%	2%	8%	14%	30%
-मांग	%	0%	1%	2%	5%
-भारतीय उत्पादन	%	0%	1%	2%	6%

45. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :

(i) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में अबाधित रूप से भारी वृद्धि हुई है।

(ii) कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

(iii) भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

(iv) संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में उपभोग एवं उत्पादन के संबंध में आयातों में समग्र रूप से एवं अबाधित रूप से संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

46. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में भारत में उपभोग और उत्पादन के संबंध में तथा आबधित रूप से वृद्धि हुई है।

कीमत प्रभाव

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

47. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों का पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों को अन्यथा भारी अवमंदन होगा अथवा कीमत में होनी वाली उस वृद्धि का निवारण होगा जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन, यदि कोई, के संबंध में की गई है।

कीमत अधोरदन

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों की उतराई कीमत की तुलना घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण से की है। इस संबंध में इस उत्पाद के उतराई मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत ब्रिकी कीमत, व्यापार के समान स्तर पर सभी निवल रिबेटों और करों के बीच तुलना की गई। घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण फैक्टरी बाह्य स्तर पर किया गया। इस तुलना से यह स्पष्ट हुआ कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में कम कीमत पर किया गया था। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहे थे और अधोरदन का मार्जिन अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
क	**रूस**					
	उतराई कीमत	रुपए/एमटी	59,920	74,296	86,612	92,608
	निवल बिक्री प्रापण	रुपए/एमटी	***	***	***	***
	कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
	कीमत अधोरदन	%	***	***	***	***
	कीमत अधोरदन रेंज	%	(0-10)	0-10	0-10	0-10
ख	**जापान**					
	उतराई कीमत	रुपए/एमटी	-	81,578	87,624	91,285
	निवल बिक्री प्रापण	रुपए/एमटी	-	***	***	***

	कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	-	***	***	***
	कीमत अधोरदन	%	-	***	***	***
	कीमत अधोरदन रेंज	%	0	(5-15)	0-10	0-10
ग	**संबद्ध देश**					
	कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
	कीमत अधोरदन	%	(***)%	***	***	***
	कीमत अधोरदन रेंज	%	(0-10)	0	0-10	0-10

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इस प्रकार संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं।

कीमत अधोविक्रयण

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत अधोविक्रयण क्षति का आकलन करने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। कीमत अधोरदन की सीमा का निर्धारण करने के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया गया है और उसकी तुलना संबद्ध वस्तु के उतराई मूल्य से की गई है। गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है।

51. यह विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना में कम था जैसाकि कि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण	**यूनिट**	**रूस**	**जापान**
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	***	***
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	92,608	91,285
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	***	***
कीमत अधोविक्रयण	%	***	***
कीमत अधोविक्रयण रेंज	%	5-15	5-15

52. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप भारी कीमत अधोविक्रयण हुआ।

कीमत निग्रहण/अवमंदन

53. यह निर्धारित करने के लिए क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का निग्रहण अथवा अवमंदन कर रहा है और क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है अथवा उन कीमतों को बढ़ने से रोकना है जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती, प्राधिकारी ने जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के संबंध में उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्रापण तथा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के उतराई मूल्य की जांच की है। स्थिति को अधोलिखित तालिका के अनुरूप दर्शाया गया है।

प्राचल	**यूनिट**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*131*	*155*	*166*
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*128*	*154*	*159*

आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*125*	*145*	*154*
उतराई कीमत- **जापान**	रुपए/एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	-	100	107	112
उतराई कीमत- **रूस**	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	125	145	155

54. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों से भारी वृद्धि हुई है। बिक्री कीमत में वृद्धि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। यह कीमत निग्रहण प्रभाव को दर्शाता है जिसके कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं कर सका।

घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

55. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इसके आगे नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का उद्देश्यपरक एवं पक्षपातहीन मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव शामिल है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच यह व्यक्त करती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों पर निम्नवत चर्चा की गई है :

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

56. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नवत है :

विवरण	**यूनिट**	2010-11	2011-12	2012-13	**जांच की अवधि**
क्षमता	एमटी	256,110	256,110	256,110	268,610
उत्पादन	एमटी	207,810	208,480	213,684	211,033
क्षमता उपयोग	%	81%	81%	83%	79%
घरेलू बिक्रियां	एमटी	157,438	162,932	179,649	173,839

57. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

(i) घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अपनी क्षमता में विस्तार कर लिया था।

(ii) घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई, परंतु उसके पश्चात जांच की अवधि में इसमें गिरावट आ गई। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन विगत वर्ष, जब इसकी क्षमता में वृद्धि हुई थी, की तुलना में कम था।

(iii) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2012-13 तक सुधार हुआ और फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आ गई।

(iv) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई परंतु जांच की अवधि में इसमें गिरावट आ गई।

लाभ, लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

58. जांच की अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाही के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नवत है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
लाभ/(हानि)	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*(421)*	*456*	*(1,566)*
लाभ/(हानि)	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*(413)*	*480*	*(1,627)*
नकद लाभ	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*29*	*159*	*(141)*
कर पूर्व लाभ	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*133*	*278*	*(65)*
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	140	279	(61)

59. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते है कि :

(i) संबद्ध वस्तु बनाने की लागत और उसके बेचने की लागत तथा बिक्री कीमत पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का निर्धारण किया गया है।

(ii) घरेलू उद्योग के लाभ/हानि ओर लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है।

(iii) इस अवधि के दौरान यद्यपि उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में ही वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में जांच की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान प्रणाली गिरावट आई है।

(iv) घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान भारी वित्तीय घाटा हुआ है।

(v) नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रति लाभ ने लाभ के समान ही प्रवृत्ति अपनाई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में गिरावट आई है।

(vi) इस प्रकार यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने पर घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में वर्ष 2012-13 के दौरान सुधार हुआ। तथापि, वर्तमान संबद्ध देशों से पाटन के कारण उसमें गिरावट आई।

मांग में बाजार हिस्सा

60. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

मांग में बाजार हिस्सा	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	66.40%	69.75%	68.72%	68.87%
अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	15.64%	15.28%	15.55%	12.90%
घरेलू उत्पादक समग्र रूप से	%	82.04%	85.03%	84.27%	81.77%
संबद्ध देश	%	0.44%	1.15%	2.13%	5.46%
-रूस	%	0.44%	1.03%	1.26%	4.22%
-जापान	%	0.00%	0.12%	0.87%	1.24%
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	15.57%	12.07%	11.75%	12.38%
अन्य देश	%	1.95%	1.75%	1.86%	0.40%

61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में समग्र रूप से वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के बीच वृद्धि हुई है और तत्पश्चात इसमें गिरावट आ गई। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई जबकि उन देशों के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था।

रोजगार, उत्पादकता और वेतन

62. रोजगार, उत्पादकता और वेतन से संबंधित स्थिति निम्नवत है :

विवरण	**यूनिट**	2010-11	2011-12	2012-13	**जांच की अवधि**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी/प्रतिदिन	***	***	***	***

63. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के साथ रोजगार में वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई और तत्पश्चात उसमें गिरावट आ गई। संदत्त वेतन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली सी गिरावट आई है। उत्पादकता में भी वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई और तत्पश्चात इसमें गिरावट आ गई।

मालसूची

64. अधोलिखित सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है:

विवरण	**यूनिट**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
इति भंडार	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	75	96	107

पाटन की मात्रा

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

वृद्धि

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक रही है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ तथा नकद लाभ में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

विवरण	**यूनिट (वर्ष-दर-वर्ष)**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
उत्पादन	वाई/वाई	-	0%	2%	-1%
घरेलू बिक्री	वाई/वाई	-	-2%	7%	-1%
लाभ/(हानि)	वाई/वाई	-	-521%	8%	-443%
नकद लाभ	वाई/वाई	-	-71%	456%	-189%
पीबीआईटी	वाई/वाई	-	33%	109%	-124%
निवेश पर प्रतिलाभ	वाई/वाई	-	2%	7%	-17%

पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

67. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संवर्धित मांग को देखते हुए अपनी क्षमता में विस्तार कर लिया है। तथापि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

68. इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में अबाधित रूप से भारी वृद्धि हुई है। इन आयातों में भारत में इस उत्पाद के उत्पादन तथा उसके उपभोग के संबंध में और अबाधित रूप से दोनों तरह से वृद्धि हुई है। पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का कीमत अधोरदन कर रहे हैं। पाटित आयातों का कीमत निग्रहण के रूप में भारी विपरीत कीमत प्रभाव हुआ है। इन पाटित आयातों के प्रभाव से कीमत में हुई वृद्धि निवारित हुई है जिसमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती। आयातों ने घरेलू उद्योग को लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने से वंचित कर दिया है। घरेलू उद्योग को भारी कीमत अधोविक्रयण का सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में कार्यनिष्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला है। घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, भारी कीमत अधोरदन और कीमतम निग्रहण के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इतनी अधिक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होने लगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को नकद घाटा हुआ है और जांच की अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिलाभ में कमी आई है। इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

कारणात्मक संबंध

69. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति में अपना योगदान दिया है। पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों की जांच निम्नवत की गई है।

तृतीय देशों से आयात

70. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि तृतीय देशों से आयात पर या तो पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है या उनकी मात्रा न्यूनतम है और इस प्रकार उनसे घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति कारित नहीं हो सकती है।

मांग में संकुचन

71. जांच की अवधि के दौरान भारत में थैलिक एन्हाइड्राइड की मांग में मामूली सी कमी हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में ऐसी स्थिति में भारी वृद्धि हुई है जब इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में मामूली सी कमी प्रदर्शित हुई है।

घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिससे घरेलू उद्योग की क्षति में वृद्धि होती हो।

प्रविधि में विकास

73. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रविधि संपूर्ण विश्व में उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही प्रविधि से तुलनीय है। भारतीय उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। वास्तव में घरेलू उत्पादक काफी लंबे समय से इस उत्पाद का विनिर्माण कर रहे और उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रविधि पूर्णतया सुस्थापित है।

उपभोग में प्रतिमान में परिवर्तन

74. घरेलू उद्योग उसी प्रकार की वस्त का उत्पादन कर रही है जिस प्रकार की वस्तु का भारत में आयात किया जा रहा है। इसलिए उपभोग के प्रतिमान में संभावित परिवर्तन कोई ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षतिकारित हुई हो।

निर्यात निष्पादन

75. घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट के कारण नहीं आई है।

अन्य उत्पादकों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और उनकी बिक्री की जा रही अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन का प्रभाव घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन का प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन पर नहीं पड़ा है। वह सूचना जिस पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है, केवल इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने भी उत्पादन के समान प्रवृत्ति का अनुपालन किया है। उत्पादकता में गिरावट ने घरेलू उद्योग को क्षतिकारित नहीं की है।

कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में संबद्ध देशों से आयातों के कारण वास्तव में गिरावट आई है। पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित होता है :

(i) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं। आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

(ii) उपभोक्तागणों का अपनी जरूरतों के लिए झुकाव कीमतों में भारी अंतर होने के कारण बढ़-चढ़कर संबद्ध देशों के प्रदायकों की ओर हो गया है। इस प्रकार, कीमत अधोरदन के कारण आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है।

(iii) देश में पाटित आयातों की मौजूदगी घरेलू उद्योग को अपनी लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप कीमतों में वृद्धि करने से निवारित कर रही है।

(iv) संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पाद की जा रही बिक्री का अधोविक्रयण हो रहा है।

(v) लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में गिरावट होना पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

(vi) क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

क्षति एवं कारणात्मकता संबंधी निष्कर्ष

79. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की उपर्युक्त जांच से प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण क्षति हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान अबाधित रूप से तथा भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयात घरेलू कीमतों का भारी कीमत अधोरदन कर रहे हैं। पाटित आयातों का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उसे बहुत अधिक माना गया है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में भारी गिरावट आई है। मालसूची में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है।

80. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध आयातों के उतराई मूल्य से की गई है। क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

क्षति मार्जिन

विवरण	मापन की इकाई	रूस		जापान
		रोसप्लास्ट	अन्य	
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***
कीमतम अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	% रेंज	5-15		5-15

81. निर्धारण के लिए यथाप्रस्तावित क्षति मार्जिन का स्तर बहुत अधिक माना गया है।

भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

82. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्यत:, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का प्रशमन करना है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा पुनर्स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

83. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव

पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को कारित क्षति का समाधान करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित कर दिया जाए तो, से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में आई कमी को दूर करेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण

84. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) मिलमैन लिमिटेड, यूके, ने प्रस्तुतिकरण किया है कि :

क. रोसप्लास्ट/कामटेक्स-हिमप्रोम के विरूद्ध किसी भी रूप का क्षति शुल्क अधिरोपित/उद्ग्राहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यद्यपि जांच की अवधि में रूस से इस संबद्ध वस्तु की मांग में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है, फिर भी इस जांच की अवधि में रूस से इस संबद्ध वस्तु के लिए प्रति यूनिट कीमत, जापान से संबद्ध वस्तु की प्रति यूनिट कीमत की तुलना में वस्तुत: अधिक थी। तर्कसंगत रूप से सस्ते उत्पाद की बिक्री मात्रा के रूप में अधिक प्रदर्शित होगी, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। जांच की अवधि के दौरान इस रूसी उत्पादन की बिक्री में वृद्धि मिलमैन लिमिटेड द्वारा इस उत्पाद के विपणन के लिए उत्कृष्ट ढंग से प्रयास करने के कारण हुई है।

ख. मांग में एमटी के रूप में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ अंतर होता है परंतु वर्ष 2012-13 से जांच की अवधि के दौरान विशेष रूप से वृद्धि हुई है; यह देखा जा सकता है कि मांग में गिरावट आई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि घरेलू बिक्रियों पर गिरावट का कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं हुआ क्योंकि वे लगभग 63-64 प्रतिशत के बीच स्थिर बने रहे। इसके अतिरिक्त, परिणामों से यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग का पिछले दो वर्षों से, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, 75 प्रतिशत बाजार मांग पर कब्जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को रूस से बिक्री में वृद्धि होने से आनुपातिक रूप से उतनी क्षति सहन करनी नहीं पड़ी है।

ग. इन कारणों से हम क्षर्ति मार्जिन की शास्ति से सहमत नहीं हैं और हमारा विश्वास है कि यदि आप जापान के लिए 5 डालर-10 डालर/एमटी पाटनरोधी शुल्क का प्रस्ताव कर रहे हैं तो रूस के लिए यह शुल्क शून्य होना चाहिए और 5 डालर-10 डालर/एमटी से अधिक तो निश्चित रूप से ही नहीं होना चाहिए।

घ. प्राधिकारी को यह जांच इस आधार पर तुरंत खारिज कर देनी चाहिए कि इस जांच की शुरूआत के लिए आधारभूत आयात सूचना ही यथार्थ एवं उपयुक्त नहीं है और वह संवेदनशील प्रकटन करने में असफल रहा है।

ङ. यह दर्शाने के लिए कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है, कोई सूचना अथवा भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है।

च. इस संबद्ध वस्तु के अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों का घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत आरोपित क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से अपवर्जन किए जाने की जरूरत है।

छ. घरेलू उद्योग को याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा दावाकृत कोई क्षति हुई ही नहीं हैं, और यदि कोई क्षति हुई भी है तो वह स्वयंकृत है।

ज. घरेलू उद्योग द्वारा तथाकथित क्षति और भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

झ. इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा।

ञ. प्राधिकारी को थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड ("टीसीएल") और आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ("आईजीपीएल") से अनुरोध करना चाहिए कि वे दोनों कंपनियों के लिए संयुक्त आंकड़े प्रस्तुत करने के बजाय क्षति अवधि तथा जांच की अवधि ("पीओआई") के लिए क्षति से संबंधित अलग-अलग आंकड़े प्रदान कराएं। चूंकि आवेदन में प्रदान कराए गए आंकड़े दोनों कंपनियों के लिए संयुक्त आंकड़े हैं, इसलिए आईजीपीएल के सकारात्मक निष्पादन पर टीसीएल के संगत रूप से कम सकारात्मक निष्पादन द्वारा आच्छादित कर दिया गया है।

ट. टीसीएल के निष्पादन पर कोई ऋणात्मक प्रभाव उन आयातों जिन पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा था और समान उत्पाद के अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा तथा अन्य कारकों का परिणाम था।

ठ. जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में गिरावट अमहत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, आईजीपीएल ने विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में अपने उत्पादन में वृद्धि की है।

ड. बिक्री मात्रा में गिरावट के बावजूद आवेदकों के बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आईजीपीएल का बिक्री मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई जैसाकि इन आंकड़ों से स्पष्ट है। आईजीपीएल के बिक्री मूल्य में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई।

ढ. आईजीपीएल का क्षमता उपयोग बहुत अधिक स्तर पर रहा है और अपने संयंत्र के सकारात्मक निष्पादन के आधार पर इसने एक तीसरा पीए संयंत्र जोड़कर अपनी क्षमता में और अधिक विस्तार करने की योजना बनाई है।

ण. घरेलू उत्पादन से संबंधित मालसूची संपूर्ण क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान समान बनी रही।

त. वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार आईजीपीएल विश्व में सबसे कम लागत पर पीए का उत्पादनकर्ता है और इसलिए यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि आईजीपीएल के लिए संगणित गैर-क्षतिकारी कीमत इस समान उत्पाद के अन्य घरेलू उत्पादकों की तुलना में न्यूनतर होगी।

थ. क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान आईजीपीएल के निष्पादन में खासकर उत्पादन बिक्री, क्षमता उपयोग, क्षमता और सकल लाभ के रूप में सुधार हुआ है। क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान आईजीपीएल के लाभ में निरंतर वृद्धि हुई है, संबद्ध देशों से आयात आईजीपीएल की कीमतों का निग्रहण अथवा अवमंदन नहीं कर रहा है अथवा उसके परिणामस्वरूप आईजीपीएल की कीमतों का कीमत अधोरदन अथवा कीमत अधोविक्रयण नहीं हुआ है। संगत विधिक प्रावधानों के अनुरूप आईजीपीएल को क्षति नहीं हो रही है। प्राधिकारी को आईजीपीएल और टीसीएल के लिए क्षति विश्लेषण पृथक-पृथक करना चाहिए न कि संयुक्त आंकड़ों के आधार पर।

द. आवेदकों ने यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कराया है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास भारी अप्रयुक्त क्षमता है और इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों के निर्यातकों का इरादा भारत को अपने निर्यात में वृद्धि करना है।

ध. टीसीएल और मैसूर पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड दोनों ने ही अपना नकारात्मक निष्पादन आईजीपीएल के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक घाटे पर उपरोपित किया है।

न. आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड उच्च दर पर प्रचालन करने में सक्षम है। घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग में प्रदर्शित की गई कोई भी गिरावट थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड के कारण आई है जो संभारतंत्रीय दिक्कतों के कारण अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाया।

प. आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड की उच्च प्रचालनात्मक दर और अवस्थानिक लाभ पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि उस पर न्यूनतर प्रचालन, संभारतंत्रीय और श्रम लागत उपगत हुई। वास्तविक तो यह है कि आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कच्चे माल कम कीमत पर प्राप्त होता है क्योंकि थैलिक एनहाइड्राइड उद्योग को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ताओं में से एक आपूर्तिकर्ता आईजी पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के निकट ही अवस्थित है। यह लाभ थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड को उपलब्ध नहीं है।

फ. याचिकाकर्ताओं की बिक्री मात्रा और बिक्री कीमत में घरेलू मांग में गिरावट के बावजूद क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किया गया विववरण प्रस्तुतिकरण

85. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट पश्चात प्रस्तुत किया गया विवरण संक्षेप में निम्नलिखित है :

(क) इस विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है।

(ख) जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक एवं पर्याप्त हैं। तथापि, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों पर ही पुनर्विचार करना आवश्यक है।

(ग) सभी तीनों प्रतिवादी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य को सकल तौर पर कम करके बताया गया है।

(घ) प्रतिवादी रूसी उत्पादक-निर्यातक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मनाही कर देनी चाहिए।

(ङ) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(च) निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की संस्तुति किया जाना अपेक्षित है।

(छ) कोई भी हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाया कि घरेलू उद्योग के तर्क किसी संगत कारण से अनुपयुक्त है।

(ज) पाटनरोधी शुल्क की नियत प्रमात्रा को यूएस डालर के रूप में अभिव्यक्त किया जाना अपेक्षित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

86. क. जहॉ तक इस तर्क का संबंध है कि रूस की आयात कीमत, जापान की आयात कीमतों की तुलना में अधिक है और जॉच की अवधि के दौरान रूस के उत्पाद की बिक्री में वृद्धि मिलमैन लिमिटेड द्वारा इस उत्पाद के विपणन पर अधिक बल देने के कारण हुई, न कि

किसी तरह के पाटन के कारण, प्राधिकारी यह नोट करते हैं भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयात घरेलू कीमतों का भारी कीमत अधोरदन कर रहे हैं। पाटित आयातों का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उसे बहुत अधिक माना गया है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में भारी गिरावट आई है। मालसूची में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है।

ख. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि इस उत्पाद की मांग में जाँच की अवधि के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 15% की गिरावट आई, वहीं संबद्ध देशों से आयातों में लगभग 150% की वृद्धि हुई। अत, संबद्ध देशों से आयातों में यह वृद्धि बहुत अधिक थी।

ग. जहाँ तक पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा सम्बंधी तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा प्रकटन विवरण में उल्लिखित पाटनमार्जिन और क्षति मार्जिन के स्तर के अनुरूप है।

घ. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि इस जाँच की शुरूआत का आधार बनने वाली सूचना यथार्थ एवं उपयुक्त नहीं है और याचिकाकर्ता संवेदनशील पकटन करने में असमर्थ रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते है कि इस याचिका में सभी अपेक्षित दस्तावेज लगाए गए थे और जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे। इसके अतिरिक्त, इस याचिका और प्रकटन विवरण में इस सम्बंध में सभी संगत एवं आवश्यक प्रकटन किया गया था।

ड. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि पाटन को सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, प्रधिकारी नोट करते हैं कि इस जाँच में यह स्पष्टत: सिद्ध हो गया है कि पाटन न्यूनतम सीमा से अधिक था।

च. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि क्षति स्वत: सृजित की गई है, प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया कि यह क्षति स्वयं की सृजित की हुई कैसे हैं और न ही जाँच से यह स्पष्ट हुआ है कि यह क्षति स्वयं सृजित है।

छ. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में कैसे नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि भारत सरकार ने इस उत्पाद पर इससे पहले रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किया था जिसमें रक्षोपाय महानिदेशक ने यह धारित किया था कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में है।

ज. जहाँ तक दो याचिकाकर्ता कम्पनियों के पृथक्कारी आँकड़ों का सम्बंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने पृथक्कृत आंकड़े उपलब्ध कराए थे। तथापि, प्राधिकारी से दोनों कम्पनियों के संचयी आंकडों के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति की जाँच करना अपेक्षित होता है।

झ. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति उन देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है जिन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगा है, यह नोट किया जाता है कि इन देशों से आयातों पर तो पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा हुआ है। प्राधिकारी को अन्य पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की क्षति को पृथक्कृत करना अपेक्षित नहीं है। प्राधिकारी को तृतीय देशों से अपाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति पृथक्कृत करना अपेक्षित नहीं है।

ट. जहाँ तक उत्पादन में गिरावट याचिकाकर्ता कम्पनियों में से एक को क्षति के सम्बंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का प्रश्न है, इस मुद्दे की इस क्षति विश्लेषण में संगत स्थानों पर जाँच की गई है।

ठ. जहाँ तक उत्पादन की न्यूनतर लागत अथवा याचिकाकर्ता कम्पनियों में से एक को क्षति न होने का प्रश्न है, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए समग्र आँकड़ों का, न कि अलग-अलग कम्पनियों के आकड़ों का विश्लेषण करना अपेक्षित होता है ।

निष्कर्ष

87. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से इससे जुड़ी इसकी कीमत से कम कीमत पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस वस्तु का पाटन हुआ। घरेलू उद्योग इस संबद्ध वस्तु के बारे में वास्तविक क्षति हुई। घरेलू उद्योग को यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों के बारे में वास्तविक क्षति हुई।

सिफारिशें

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच प्रारंभ की गई और इसकी सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई तथा उसकी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई। निर्यातकों, आयातों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन, क्षति और उनके कारणात्मक संबंधों की एक जांच पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप शुरू करने और आयोजित करने तथा यह स्थापित करने के पश्चात कि सकारात्मक पाटन मार्जिन है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति इन आयातों द्वारा कारित की गई है, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर क्षति मार्जिन एवं पाटन मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति को दूर करने के लिए अपेक्षित है जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके।

89. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन से न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति दूर की जा सके। तदनुसार संबद्ध देशों में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित राशि के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक/ उप-शीर्षक	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूनिट	मुद्रा
1.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	रूस	रूस	रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी, रूस	मिलमैन लिमिटेड, यूके	106.30	एमटी	यूएस डालर
2.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	रूस	रूस	कोई	कोई	159.43	एमटी	यूएस डालर
3.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	रूस	कोई अन्य देश	कोई	कोई	159.43	एमटी	यूएस डालर
4.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य देश	रूस	कोई	कोई	159.43	एमटी	यूएस डालर
5.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	जापान	जापान	कोई	कोई	126.17	एमटी	यूएस डालर
6.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य देश	जापान	कोई	कोई	126.17	एमटी	यूएस डालर
7.	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	जापान	कोई अन्य देश	कोई	कोई	126.17	एमटी	यूएस डालर

*नोट: यदि अलग-अलग सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में किसी संबद्ध देश के संबंध में संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अतिव्यापन होता है तो संबद्ध देश पर वह शुल्क लागू होगा जो ''उद्गम के देश'' कॉलम के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लिखित उक्त देश वाली सीमाशुल्क अधिसूचना में उस पर लगाया गया हो ।

90. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) द्वारा यथानिर्धारित कर निर्धार्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9, और 9क के अंतर्गत शुल्कों के अलावा सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

91. इन जांच परिणामों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा शुल्क अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2015

(Final Findings)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Phthalic Anhydride originating in or exported from Japan and Russia-reg.

No. 14/6/2014-DGAD:—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time.

BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s IG Petrochemicals Limited and Thirumalai Chemicals Ltd (hereinafter also referred to as the petitioners or the applicants) filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Anti Dumping Rules or the Rules), alleging dumping of Phthalic Anhydride (hereinafter referred to as the product under consideration or the subject goods), originating in or exported from Russia and Japan (hereinafter referred to as the subject countries) and consequent injury to domestic industry, and, thus, requesting initiation of antidumping investigation and for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

2. And whereas, the Authority found that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry; and the causal link between the alleged dumping and injury, existed to justify initiation of anti-dumping investigation, the Authority initiated anti dumping investigation vide Notification No. 14/6/2014-DGAD dated 9th May, 2014, into the alleged dumping of the subject goods from the subject countries, and consequent injury to the domestic industry, in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed:

(i) The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules.

(ii) The Authority issued a public notice dated 9th May, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

(iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicants) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the Rules.

(iv) The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of communication of intimation of investigation.

(v) The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

(vi) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters (whose names and addresses were made available to the Authority by the applicants) in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

Gazprom NeftekhimSalavat 30, Molodogvardeitsev Street Salavat, 453256 Russia	JSC Ural Chemical Co. SEVERNOYE SHOSSE, 21, Nizhnij Tagil - 622012, Sverdlovsk, Russia
West-Siberian Steel Highway Space, 16, Novokuznetsk, Kemerovo Region, Russia-654043	Angarsk Petrochemical Angarsk-665830, Irkutsk region, Russia

Polymer Pack Co. POB 7167 Omsk, Russia 644081	UralkhimpromPodlesnaya Street, No. 43 Perm-614 097, Russia
JFE chemical corporation Head Office 4F, JFE Kuramae Bldg., 2-17-4 Kuramae, Taito-ku, Tokyo-111-0051, Japan	C－ChemCo., Ltd. Akihabara UDX 13F, 4-14-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Nippon Shokubai Osaka Office Kogin Bldg., 4-1-1 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-5410043, Japan	New japan chemical co. ltd Osaka Head Office Bingomachi Nomura BLDG., 2-1-8, Bingomachi, Chuo-ku, Osaka-541-0051, Japan

(vii) In response to the initiation notification, the following exporters/producers from subject countries responded:

a. Rosplast OOO LLC, Russia

b. OJSC Kamtex-Himprom, Russia

c. Millman Limited, UK

(viii) The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India filed legal submissions.

(ix) Questionnaires were sent to the following known importers/users and user associations (whose names and addresses were made available to the Authority by the applicants) of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

KlJ Plasticizers Ltd KLJ House 63 Rama Marg, Najafgarh Road, New Delhi	Mazda Colours Limited NKM International 178, Backbay Reclamation, Maharashthra
Pck Oil & Solvents Ltd. M-105 2nd Floor, Connaught Place, New Delhi	Lona Industries Limited Alta Bhavan 532 SenapatiBapat Marg, Dadar, Mumbai, Maharasthra
SilvassaPlast KLJ House, 63 Rama Marg, Najafgarh Road, New Delhi	Aarti Industries Limited UdyogKshetra 2nd Floor MulundGoregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai, Maharasthra
Mechemco Industries 170/6 Shiv Smruti 27th Road Sion West, Mumbai, Maharashtra	Rachna Plasticizers Plot No. 116&117, PipariaIndl. Estate, U.T. of D &NhSilvassa
Micro Inks Ltd. 512/513, Midas, 5th Floor, SaharplazaComplexe, J.B. Nagar, M.V.R.D., Andheri (E), Mumbai, Maharasthra	Phthalo Colours & Chemicals (I) Ltd. NanavatiMahalya, 18, HomiMody Street Fort Mumbai, Maharasthra
Heubach Colour Pvt. Ltd. Plot No 9002-9010, Gidc Estate, Ankleshwar	Ramniklal S. Gosala & Co. National House, 608, B. J. Marg, Jacob Circle, Mumbai, Maharasthra
Sanman Trade ImpexPvt. Ltd. 1410, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai, Maharasthra	Pertochem Middle East (India) Pvt. 201, Business Square, B. Wing, Andheri Kurla Road, Mumbai, Maharasthra
A-One Chem Trade Pvt. Ltd. 302, Shanti House, Nr. Madhushudanhouse, Opp. Navranpura Telephone Exchange, Off C.G. Road, Ahmedabad	Amjey Chemicals 5-1, Old Nagardas Road, 101, Adinath Tower, Andheri (E), Mumbai, Maharasthra
Sanjay Chemicals (India) Pvt. Ltd. 507, MatruChhaya, 378/380, Narshinatha Street, Mumbai, Maharasthra	Hazel Mercantile Limited 181, Ashoka Shopping Centre, 2nd Floor, G.T. Hospital Complex, Mumbai, Maharasthra
Indian Plasticizers Manufacturers Association, “Klj House” 63,	Indian Plastics Federation 8b, Royd Street,

Rama Marg (Najafgarh Road), New Delhi –110 015	1st Floor, Kolkata. 16
Indian Paint Association, C/O, Desco Paints Conference, 75, Shakespeare Sarani – Kolkata	Chemical Industries Association, Iste Professional Centre, Gandhi Mandapam Road, Guindy, Chennai
Indian Chemical Council, Sir Vitthal Das Chamber, 6th Floor, 16 Mumbai Samachar Marg, Mumbai-400 001	

(x) In response to the initiation notification, the following importers filed the questionnaire response. Further, Indian Plasticizers Manufacturers Association filed comments to the petition.

a. KLJ Plasticizers Limited

b. PayalPolyplast Pvt. Ltd.

c. Rachna Plasticizers

(xi) Copy of initiation notification was also sent to the following Indian producers:

(a) S I Group India Ltd.
Thane-Belapur Road,
Opp. Juinagar Rly station
Navi Mumbai- 400705, Maharashtra

(b) Asian Paints India Limited
Asian Paints House,
6A, Shantinagar, Santacruz (E), Mumbai

(xii) Mysore Petrochemicals Limited has filed a letter supporting the petition of the petitioners. Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai, an importer, filed legal submissions.

(xiii) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 15th January, 2015. The domestic industry and opposing interested parties which presented its views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. However, after the oral hearing, due to change in the incumbency of Designated Authority, another oral hearing was held on 21st August, 2015. This new public hearing was held by the new DA as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) vs Designated Authority, delivered by a Division Bench in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 7-1-2011. The new oral hearing was again attended by the domestic industry and opposing interested parties who filed written submissions of the views expressed orally.

(xiv) The arguments raised and information/evidence provided by the interested parties during the course of the investigation, considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

(xv) The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon. The Authority conducted on-the-spot verification at the premises of the domestic industry and the responding exporters to the extent considered relevant and necessary.

(xvi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7). Relevant submissions made by all interested parties have been taken into account in present Final Findings.

(xvii) The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

(xviii) Investigation was carried out for the period of investigation (POI) starting from January, 2013 to December, 2013. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.

(xix) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its views on the basis of the facts available.

(xx) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 20.10.2015. The post Disclosure Statement submissions were received from the domestic industry and opposing interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

(xxi) The Central Government, at the request of the Authority, extended the time to complete the investigation up to 08.11.2015.

(xxii) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

(xxiii) **** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

(xxiv) The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs. 58.95= 1 US$.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. Phthalic Anhydride is an organic chemical classified under Customs Sub- Heading No. 29173500 under the Custom Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

5. The opposing interested parties have contended that Purified Teraphthalic Acid' ("PTA") is a viable substitute for Phthalic Anhydride. demand for PTA in India has increased. This has resulted in decrease in demand of Phthalic Anhydride, which can be directly substituted by PTA in certain applications.

Views of the Domestic Industry

6. The domestic industry has made the following submissions with regard to the issue of the product under consideration.

(i) Phthalic Anhydride is used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers. It is an important chemical intermediate in the plastic industry. Phthalic Anhydride is classified under Customs sub-heading No. 2917 under the Custom Tariff Act, 1975

(ii) There is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the petitioners and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

(iii) As regards the argument of Purified Terephthalic Acid being direct substitute for PAN (PUC), it is submitted that it has not been established in any of the previous investigations that PTA and PAN are substitutes of each other. Import price of PTA and PAN are widely different. The responding parties themselves don't use PTA for production of plasticizers or any other product requiring PAN.

Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is "Phthalic Anhydride". Phthalic Anhydride, also referred as PAN or PA, is an anhydride of Phthalic Acid, and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colourless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. The product is produced only in one grade. As regards different applications, it does not have distinguishable different types of forms. It is mainly used in the production of phthalate esters, which functions as plasticizers. It is an important chemical intermediate in plastic industry. It is also used in making of the products like Polyester Resins, Alkyd Resins used in paints and lacquers, Unsaturated Polyester Resins, Polyester Polyols, Dyes and Pigments, Halogenated Anhydrides, Polyetherimide Resins, Isatonic Anhydride, Insect Repellents etc.

8. Phthalic Anhydride is an organic chemical classified under customs sub-heading No. 29173500 under the Custom Tariff Act, 1975. The classification is, however, Indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

9. The Authority, for the purpose of the present investigation, has considered that the product produced by the domestic industry is comparable to the product imported from the subject countries in terms of essential product characteristics such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. The Authority treats the subject goods produced by the domestic industry as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

10. As regards the argument of Purified Terephthalic Acid being substitute of Phthalic Anhydride, it is noted that none of the interested parties have filed any information to establish that consumer use the two products interchangeably. Further, in the previous investigations conducted by the Authority both in Purified Terephthalic Acid and Phthalic Anhydride, it was not established that they were substitutes to each other.

SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

11. The interested parties have made the following submissions with respect to the scope of domestic industry (DI) and its standing:

(i) The information regarding separate production of all the domestic producers has not been disclosed. Petitioners have suomoto claimed that the M/s. Asian Paints and M/s S I Group are not relevant for the present investigation and have not provided the production quantities for the same. There is no basis or evidence to conclude that the Petitioners actually constitute the 'major proportion' of the total domestic production as the total production remains unsubstantiated.

(ii) M/s. IG Petrochemicals Limited and Thirumalai Chemicals Limited have admittedly imported the subject goods from Korea RP as per Initiation Notification No. 14/1/2011-DGAD dated 29th April 2011. Petitioners have blatantly failed to disclose the same and have made contorted and misleading averments and attempted to conceal the true position of the Petitioners.

(iii) M/s. Asian Paints Ltd. is a major domestic producer and also has significant domestic sales of the subject goods. Hence, the claim of the Petitioners that M/s. Asian Paints Ltd is primarily a 'captive producer' is grossly misleading and misrepresentative and the said producer is not liable to be ex facie excluded from the scope of the domestic industry.

Views of the Domestic Industry

12. The domestic industry has made the following submissions with respect to the scope of domestic industry and standing:

(i) The petition was filed jointly by IG Petrochemicals Limited and Thirumalai Chemicals Ltd. The collective output of the two petitioners constitutes more than 50% of the production of Phthalic Anhydride in India. The petitioners, therefore, constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

(ii) The petitioners have not imported the product under consideration from the subject countries. The petitioners are not related to the exporters or the importers of the alleged article.

(iii) As regards non-disclosure of actual production figures of each of the petitioner companies, there is no requirement to provide the actual figure of total production of each of the constituent of the DI. The only thing to be established is the proportion of the Petitioners' production to that of the total Indian production, and that it is in majority proportion. The Petitioners fulfil that criterion by constituting more than 50% of the total Indian production.

(iv) As regards the production of SI Group and Asian Paints, the relevant data has been provided. Asian Paints, even though a consumer of the PUC, has not opposed the current Petition.

(v) With respect to the claim that petitioner companies have imported the PUC from Korea RP it is submitted that the exclusion from DI for importing/exporting the PUC can only be done if the alleged import/export is with the "subject country". Korea RP is not one of the subject countries. The import has not occurred during the POI but prior to that. Petitioner has imported the PUC from Korea RP is a well-known fact to the IPMA.

(vi) Asian Paints primarily has been excluded for being a consumer and the Petition is in conflict with its interests. The Petitioners have not excluded Asian Paints' production for determining standing.

Examination by the Authority

13. The Authority has examined the issue as under:

(i) The petition has been filed by M/s IG Petrochemicals Limited and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. The petitioners have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or importer of the product in the subject countries; that there are three more producers of the subject goods in India, namely, Mysore Petrochemicals Ltd., S I Group India Ltd. and Asian Paints India Limited but Asian Paints primarily produces the product for its captive consumption; that as per the information available on record, Mysore Petrochemicals Ltd has supported their petition; that production of the petitioner companies in the Period of Investigation accounts for 87% of the total Indian production and that the petition, therefore, satisfies standing and petitioners constitute domestic industry within the meaning of the Rules. The Authority, after examining the above facts and evidence given by the petitioners in this regard, determines that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 of the Anti Dumping Rules, and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

(ii) As regards the evidence of production of other Indian producers, it is noted that production figures of M/s Mysore Petrochemicals Limited and M/s S I Group is taken on actual basis as provided by petitioners and production of M/s Asian Paints has been taken as per best information available provided by the domestic industry, since no information has been provided on the production figures either by the company or the opposing interested parties.

Particulars	Production in MT				Share (%)			
	2010-11	2011-12	2012-13	POI	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Petitioners	2,07,810	2,08,480	2,13,684	2,11,033	83%	84%	83%	86%
IGPL	***	***	***	***	***	***	***	***
TCL	***	***	***	***	***	***	***	***
MPCL-Supporter	***	***	***	***	***	***	***	***
Other Indian Producer	33,815	32,720	32,412	32,035	13%	13%	13%	13%
SI Group	***	***	***	***	***	***	***	***
Asian Paints	***	***	***	***	***	***	***	***
Total	**2,51,077**	**2,47,698**	**2,57,635**	**2,46,370**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

(iii) As regards the argument regarding M/s Asian Paints being major producer of the product, it is noted that none of the opposing interested parties has provided any reliable information establishing significant production of M/s Asian Paints. In fact the Authority had sent initiation notification to the company, but the company chose not to respond. The company has not opposed the present investigation as well. None of the domestic producers has opposed the petition filed and the petitioners constitute major proportion in the total Indian production.

(iv) It is noted that the petitioner companies have not imported the alleged subject goods from Russia or Japan (subject countries). The petitioner companies constitute eligible domestic industry for the purpose of present investigation.

MISCELLANEOUS ISSUES

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

14. The opposing interested parties have made the following submissions :

(i) The petitioners are merely seeking trade remedial protection, historically and habitually since 1999 on the PUC and other products manufactures by them, to unfairly restrict imports at competitive prices and have grown accustomed to rely upon trade remedial protection to subvert their own inefficiencies. The Authority ought to restrain from providing any relief to the Petitioners and terminate the present investigation.

(ii) For the period from April 2013 up to December 2013, the evidence for imports in the petition appears to be selectively provided only for Russia and Japan and there is no direct evidence provided for imports for the period from January 2013 up to March 2013.

(iii) Excessive Confidentially: The petitioners have not disclosed information such as Individual installed capacity of the Petitioners; costing information and the same should have at the least been indexed; methodology of the break-up of the indexed costing data used for constructing the Normal Values; methodology and evidence of export price adjustments; actual individual production quantity of the Petitioners, the supporter and the other domestic producers and the quantity and value of the exports made by the Petitioners.

(iv) No reason for claiming confidentiality on the prices of OX used in determination of normal value.

(v) Applicants have failed to provide any indexation or meaningful summary of the costing data.

(vi) Enough time was not given to Russian Federation to file detailed reply.

Views of Domestic Industry

15. The domestic industry has made the following submissions:

(i) Opposing interested parties have resorted to excessive confidentiality. They have claimed practically all information as confidential.

(ii) The opposing parties have claimed essential documents which are to be provided to the consumer such as the product specification, as confidential.

(iii) The importers and exporters have merely provided blank pages at places where they have claimed confidentiality instead of various appendices.

(iv) The petitioners have not disclosed OX prices for the reasons that since petitioners have disclosed CNV, it would have been easy for the opposing interested parties to determine conversion cost of the domestic industry which is highly business sensitive information and not amenable to summarization.

(v) With reference to the argument that the DI has been availing undue protection since 1999, it is seen that the DI has been compelled to ask for protection for the PUC from time-to-time due to continued presence of dumped imports in the domestic market and the Authority has conducted proper investigations in these cases.

Examination by the Authority

16. Submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

(i) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

(ii) With regard to the argument that the petitioners are resorting to trade remedial measure to counter inefficiency, the Authority notes that the recommendation of anti-dumping measures is guided by the parameters laid down in law and only when such parameters are met, the anti-dumping duties are recommended. Mere filing of applications does not result into the levy of anti-dumping duties.

(iii) As regards the contention that enough time was not given to file detailed reply, the Authority notes that the Anti Dumping Agreement or Indian rules do not provide for additional time because of communication problem and language issues or distance involved. Still, the Initiation Notification and the copy of the petition was sent well in advance.

ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

17. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to determination of the normal value, export price and dumping margin.

(i) The price of 1 MT of Ortho-Xylene should be compared to the price of 1.13 MT of PAN in order to correctly construct the cost of production.

(ii) Excess steam/energy generated during the exothermic reaction for producing the subject goods which is either marketed or used for other products.

(iii) Power prices and other factors in each of the subject countries which determine the conversion costs incurred in that subject country

(iv) Legally impermissible method of determination of normal value leading to erroneous dumping margin:

i. Normal value should have been based on prices of like article in Russia and Japan. Applicants have not provided any explanation as to why this was adopted.

ii. The applicants have determined Oxylene prices of Russia based on average import price of the raw material into India and for Japan based on export price of raw material from Japan to the world. Normal value should have been based on cost of production in the subject countries considering the raw material in subject countries and conversion cost in subject countries. No explanation provided for difference in approach used in determination of normal value in Russia and Japan

iii. Normal value based on import price of raw material in likely to be higher than normal value in Russia as raw material can be sourced locally by the Russian producers and is likely to be cheaper that the raw material imported into India.

iv. The applicants have constructed the normal value using certain components based on data for subject countries while others based on data of India.

(v) The Applicants have provided no evidence whatsoever to establish that prices of Ortho-xylene in Russia are lower than the international prices.

(vi) Applicants have not provided reference to any official rules or regulations which support their claim that an export tax is levied on Ortho-xylene in Russia.

(vii) In the three computations of normal value done, the Applicants have used FOB prices of Ortho-xylene from Russia, CIF prices of Ortho-xylene to Europe from Russia and CFR prices of Ortho-xylene from South East Asia. However, the Applicants have failed to make the necessary adjustments to Ortho-xylene prices in the three computations so as to reflect the cost of Ortho-xylene in the domestic market of the respective jurisdictions.

(viii) The presence of an export duty in Russia in no way is an indication of the domestic prices of Ortho-xylene not "reflecting the cost associated with production and sale of the article under consideration. The normal value in the instant proceedings must be determined based on the accounts of the particular producer or exporter.

(ix) The price of Ortho-xylene in Russia would be determined by the level of domestic demand in the country. The Applicants cannot reach conclusion regarding domestic prices without providing any evidence relating to the level and elasticity of domestic demand for Ortho-xylene in Russia.

(x) The Authority is required under the relevant legal provisions to compute an individual dumping margin for the supply chain consisting of Kamtex-Himprom and Rosplast as the producers and Millman as the exporter as the supply chain is complete. UralChem is not a part of Millman's supply chain for the export of the subject goods to India. UralChem's participation in the instant investigation therefore has no bearing whatsoever in the computation of an individual dumping margin for Millman's supply chain. The data provided by Kamtex-Himprom in its questionnaire response relates to the total production and cost of the subject goods by Kamtex-Himprom.

(xi) That Kamtex-Himprom is related to Rosplast in no way restricts it from providing services for production of the subject goods to other companies.

Views of the Domestic Industry

18. The following are the submissions made by the applicants in respect of normal value, export price and dumping margin:

(i) The exporters' questionnaire response is grossly inadequate to determine an accurate Normal Value in terms of the cost of production in Russia:

a. It has been admitted that OJSC Kamtex Himprom is producing the product for Rosplast OOO LLC and LLC Ural Chem Prom. But the questionnaire response is not based on total quantity produced by the company.

b. OJSC KamtexHimprom is related to Rosplast OOO LLC but still manufactures goods for LLC UralChemProm. Petitioners are unable to understand the reason for the same.

c. OJSC KamtexHimprom also produces the end product, namely, DOP. No information has been provided by OJSC KamtexHimprom regarding its captive consumption of Phthalic Anhydride to produce DOP.

(ii) Domestic Industry has adopted the DGCI & S data and the separate details of Russia and Japan have been provided to determine injury margin and month wise injury margin.

(iii) The responding exporters have not filed complete response and hence individual dumping margin cannot be granted to theses exporters/producers.

(iv) For the determination of Normal Value for Russia, the raw material cost of the Russian exporter cannot be relied upon owing to the export tax levied by the Russian Government on the export of Ortho-xylene. The price of Ortho-xylene in Russia for Phthalic Anhydride production is at a price materially below the international prices.

(v) The cost and price of the Russian producer does not reasonably reflect the costs associated with production and sale of the PUC because the Govt. of Russia is charging export duty on the export of orthoxylene (the main raw material).

(vi) The Petitioners have calculated the Normal Value on the basis of the best available knowledge to them. Since the exporters have filed the questionnaire response, the normal value determination at this stage would be on the basis of data provided by the exporters. The conversion costs of the Russian producer are in fact higher than the conversion cost of the two petitioning companies.

(vii) Normal value on the basis of selling price in Russia cannot be established without questionnaire response from LLC UralChemProm and sales by the company.

(viii) The responding parties' contention that for determining Normal Value the price of 1 MT of orthoxylene should have been compared to the cost of 1.13 MT of PAN, lacks any reasonable logic and sense and is completely disregarded by the Petitioner.

(ix) The Petitioners also disregard the responding parties' submission that the excess steam/energy produced in the reaction for production of PUC should be considered for the determination of Normal Value. It is submitted that no surplus electricity is produced in the process and all the electricity produced is consumed in the process.

(x) The argument of the responding parties that the Petition did not have all the sufficient information is misconceived. The Petitioners have relied upon the best available information with them.

Examination by the Authority

19. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring below mentioned producers and exporters, none

of the producer/exporter from subject countries has co-operated in this investigation by filing their questionnaires' responses. The questionnaire response has been filed by the following companies:

(i) Rosplast OOO LLC, Russia

(ii) OJSC KamtexHimprom, Russia

(iii) Millman Limited, UK

20. It has been contended by the Domestic Industry that there had been volatility of the prices of the subject goods during the Period of Investigation. However, the Authority has done yearly analysis of the entire data for the determination of dumping margin and injury margin.

21. The Authority has assessed the Normal Value based on the information submitted by the producer and exporter in accordance with the Rules. It was first seen as to whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporter/producer in their home markets were representative and viable for permitting determination of Normal Values on the basis of their domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents.

22. It is seen that Rosplast does not undertake production and sale of the product under consideration. Rosplast and KamtexHimprom are related companies. Production facilities are with KamtexHimprom and KamtexHimprom undertakes production of the product under consideration. Rosplast procures Orthoxylene and supplies the same to KamtexHimprom. Neither Rosplast nor KamtexHimprom sell significant volumes of the product under consideration in the domestic market. Further, Rosplast has not sold the product directly to the consumers in India. Rosplast has sold the product to Millman and Millman has in turn sold the material to various consumers or importers in various countries.

23. As regards the argument that the price of 1 MT of Ortho-Xylene should be compared to the price of 1.13 MT of PAN in order to correctly construct the cost of production, it is clarified that the Authority has adopted the consumption of inputs as provided by KamtexHimprom.

Normal Value for Russia

Normal value of Rosplast OOO LLC, Russia along with OJSC KamtexHimprom, Russia (Producer) and Millman Limited, UK (Exporter)

24. The domestic industry had argued that the normal value in case of Russia is required to be determined considering international price of raw materials. The Russian Government has imposed export tax on the export Ortho-xylene, the major raw material for production of Phthalic Anhydride. Consequently, the supply of Ortho-xylene in Russia for Phthalic Anhydride production is at a price materially below the international prices and, therefore, the cost of production resultantly shall not reflect the costs reasonably associated with the production and sale of the product under consideration. Therefore, the petitioners submit that the raw material costs cannot be relied upon for determination of the cost of production of the product under consideration.

25. From the EQ response filed by Rosplast OOO LLC, Russia, the Authority notes that Rosplast does not have a factory of its own for the production of the subject goods, i.e., Phthalic Anhydride (PAN). Rosplast is not manufacturing any raw material either required for manufacturing of PAN, including the main raw material Ortho-xylene. Rosplast provides the main raw material Ortho-xylene and other smaller raw materials to another company, namely, Open Joint Stock Company (OJSC) KamtexHimprom, which is a related company of Rosplast (as Rosplast has shareholding in KamtexHimprom). KamtexHimprom is involved in the manufacture of the Phthalic Anhydride in the capacity of a contract manufacturer/job worker on behalf of Rosplast under the terms of a Service Agreement entered into between KamtexHimprom and Rosplast. KamtexHimprom, after manufacturing PAN, shifts the same to its warehouses as well the warehouses of Rosplast. Rosplast receives inquiry from the trading company for possible volumes and price for PAN, type of packing and shipment time and indicating country of final destination of the product. Rosplast sends its price offer relying on rates indicated by ICIS and Platts for South Asia PA market on the one hand and cost of the product including all kinds of transportation and other costs. The buyer either accepts the price, or asks for a discount providing arguments. Rosplast in turn either confirms the deal, or refuses. When the price is fixed, Attachment to the contract is signed by both parties. As far as selling PAN to India during the POI is concerned, Rosplast sold PAN to its unrelated trader/exporter, namely, Millman Limited, UK, under a Contract Agreement, which lays down the terms and conditions of the sale. Millman Limited, UK, is the actual exporter in this chain and has exported the subject goods to India in the POI to unrelated customers. The subject goods are shipped to Indian customers directly from the Russian port.

26. The company has not reported any domestic sales of PAN in the POI. In its questionnaire response, the company had not filed the transaction wise exports sales to all other countries to whom it had exported PAN during the POI. In its questionnaire response, the company had provided the total quantity and total value of the exports to other countries. Further, the company had provided the consolidated price structure for exports to countries other than India. The company, during the verification stated that it had exported PAN to China, Belarus and Egypt. The Authority, during the verification visit verified the cost of production and consumption norms of Rosplast as well as

KamtexHimprom.

27. Since Russia being a market economy country, the cost of Ortho-Xylene as recorded in the books of Rosplast has been considered. Further, domestic industry has not provided any evidence to the effect that the price of Ortho-xylene in Russia does not reflect the fair market price. The Authority has, therefore, determined the Normal Value for Rosplast on the basis of consumption of raw materials claimed by Rosplast/KamtexHimprom and conversion costs (including selling, general & administrative expenses) as per the information provided by Rosplast/KamtexHimprom, with addition of five percent profit. The ex-factory normal value is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperative producers/exporters from Russia

28. The Authority notes that no other exporter/producer from Russia has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Russia, the Authority has adopted the normal value determined for the cooperating producer Rosplast.

Export Price for Russia

Rosplast OOO LLC, Russia along with OJSC Kamtex Himprom, Russia and Millman Limited, UK

29. In its questionnaire response, Rosplast has reported *** transactions of exports of Phthalic Anhydride to India during the period of investigation (POI), showing *** MT for a total value of US$ ***. The entire quantity has been sold by Rosplast to a trading company, namely, Millman Limited, UK, on CFR Indian port basis. ***% exports to India by Millman Limited have been sourced from Rosplast, Russia.However, it was noted from the reconciled Appendix-2 of Millman Limited that the company has reported *** transactions of exports of PAN to India during the POI showing *** MT, for US$ *** on CFR basis. During the verification visit, Millman Limited provided a statement of reconciliation for the difference in quantity. As per the quantity reconciliation statement, it was found that the quantity difference of *** MT was primarily due to the identification of the transactions on the basis of Invoice date by Rosplast and the shipment date by Millman Limited which were reflected by Millman Limited in the next year, i.e., ***. All sales to Millman Ltd were in flakes form. Rosplast claimed adjustments on account of expenses due to Inland Transportation, Customs Handling and Clearance Charges, Overseas Freight and Other Adjustments, which were accepted by the Authority. The ex-factory export price is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export price for other producers/exporters in Russia

30. The Authority notes that no other exporter/producer from Russia has responded to the Authority in the present investigation. For all these exporters/producers in Russia, the Authority has determined the export price after considering the lowest representative export price reported by the responding producer. The export price has been determined as CFR US$ per MT basis. The CFR export price has been adjusted on the basis of information provided by the producer Rosplast and verified by the Authority. The ex-factory export price so determined for other producers/exporters from Russia is as indicated in the Duping Margin Table below.

Normal Value for Japan

31. Since none of the exporters from Japan has cooperated in the present investigation and filed exporter's questionnaire response, the Authority notes that the normal value in Japan could not be determined on the basis of actual information pertaining to the cost of production and selling price in Japan. Normal value in Japan has thus been constructed as per the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Accordingly normal value at ex-factory level in respect of Japan has been determined on the following basis – Orthoxylene prices as per export price of Ortho-xylene from Japan to the World as per UNComtrade data; freight as prevailing in Japan; consumption of raw materials and conversion costs on the basis of information/data of the most efficient producer of the domestic industry; selling, general & administrative expenses on the basis of information/data of most efficient producer of the domestic industry and profit @5% of ex-factory cost excluding interest. The Authority constructed the normal value in respect of Japan accordingly. The ex-factory normal value for Japan so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export price for Japan

32. Since no producer and exporter from Japan has cooperated and filed exporters questionnaire response in the present investigation, the Authority determines net export price in respect of Japan as per the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Export price in the case of all producers and exporters from Japan has been determined on the basis of transaction wise import data received from DGCI&S. After making the due adjustments, the ex-factory export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin Table

33. The dumping margin is as indicated in the Table below.

SN	Country	Producer/Exporter	Normal Value (US$ per MT)	Export Price (US$ per MT)	Dumping Margin (US$ per MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
1	Russia	Rosplast OOO LLC, Russia and Millman Limited, UK (Exporter)	***	***	***	***	5-15
2	Russia	All Others	***	***	***	***	10-20
3	Japan	All Producers and Exporters	***	***	***	***	10-20

34. It is seen that the dumping margins are quite significant and more than the limits prescribed under the Rules.

ASSESSMENT OF INJURY

Submissions made by producers, exporters, importers users and user associations

35. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

(i) The critical determinant of the applicable basic customs duty is the different between the imports from Russia and imports from Japan of the same subject goods. as the 'conditions of competition' between the imported articles from Japan and Russia are completely dissimilar. It is erroneous to undertake a cumulative examination of the imports from Japan and Russia.

(ii) Performance of Phthalic Anhydride derivatives must also be evaluated to examine whether there is any material injury to the Applicant. It should be analyzed that Phthalic Anhydride is transferred at arms length prices internally – as this will reflect the true overall profitability of the subject product. The Authority should investigate all aspects of the Applicants' business behavior relating to its value added products, particularly relating to capacity of its downstream derivatives and if there is any major change in production of derivatives during the injury period.

(iii) The Authority must exclude all the imports of the subject goods into India made under advance license for examining the volume effect, as the imports made under advance license are not capable of causing any injury to the domestic industry. Landed Value of the subject goods imported under Advance license is lower as compared to the Landed value of the Duty Paid Imports and hence the Authority must examine the landed value of duty paid imports with the Non-Injurious Price and the Net Sales Realization of the Petitioners.

(iv) Domestic sales and market share of the Petitioners have steadily increased despite the declining demand and the imports from the subject countries are insignificant and merely 5% of the total Indian demand. Hence, there is no impact on the market share of the Petitioners and the claim made by the Petitioners is baseless and misconceived.

(v) Purified Teraphthalic Acid' ("PTA") is a viable substitute for Phthalic Anhydride. Demand for PTA in India has increased from 2009-10 to 2012-13. This has resulted in decrease in demand of Phthalic Anhydride, which can be directly substituted by PTA in certain applications.

(vi) Analysis of the Capacity Utilization reflects that it has declined marginally in the POI as compared to 2010-11, but it may be noted that the Petitioners have themselves attributed the same to several extraneous factors.

(vii) The capacity of IG Petrochemicals Ltd. Has, however, increased significantly in 2013-14. IG Petrochemicals Limited is able to operate at a high rate. Any decline in capacity utilization demonstrated by the domestic industry is on account of Thirumalai Chemicals Ltd., which has not been able to optimally utilize its capacity because of logistical difficulties.

(viii) Given the constant high operating rates and locational advantages of IG Petrochemicals Limited, it incurs lower operating, logistical and labour costs. As a matter of fact, IG Petrochemicals Limited enjoys reduced costs for purchase of raw materials as compared to its peers because one of the key raw material supplier to the Phthalic Anhydride industry is also situated closer to IG Petrochemicals Limited. These advantages are not available to Thirumalai Chemicals Limited.

(ix) Sales volumes and selling price of the Petitioners has increased over the injury period, despite declining domestic demand.

(x) The apparent drastic decline exhibited in the POI is on account of the 'extraordinary expenses' incurred by M/s I G Petrochemicals Ltd. and is clearly erroneous. "Profit from Ordinary Activities before Finance Costs and exceptional item" of I G Petrochemicals Ltd. has increased in 2013-14 as compared to 2012-

13. Further, it may be observed that the finance cost in 2013-14 has nearly doubled in 2012-13. Furthermore, some exceptional expenses such as exchange losses and extraordinary expenses have been dressed into the accounts in order to illustrate a loss, from an obvious profitable position.

(xi) Although the cost of sales of the Petitioners has increased over the injury period, there has been a commensurate increase in the selling price. As a matter of fact, the Petitioners should explain why there has been a significant increase in the cost of sales in the Period of Investigation as compared to 2010-11. Hence, there is clearly no price suppression/depression.

(xii) Productivity is observed to have a positive trend over the injury period.

(xiii) Increase in stock is due to decrease in exports. The Petitioners have failed to disclose the actual exports.

(xiv) The change in the policy of the Government has affected the industry:

a. Domestic industry enjoyed much higher levels of protection as the customs duty was much higher @ 30%. The same has been reduced to the current level of 7.5%.

b. The imports of the subject goods from Japan are amenable to preferential tariff under the India-Japan CEPA. reduction in the applicable customs duties has led to an increase in the imports from Japan.

(xv) The Petitioners, in their respective annual reports have identified and admitted to several such other factors which are affecting them and have in fact affected them in the injury period, such as inverted duty structure, government policies, increased crude oil prices and forex fluctuations.

(xvi) Petitioners are not only exposed to risks of logistics constrain on procurement and supply but are exposed to pricing pressure on account of increasing raw material costs or other monopolistic activities by the sole supplier in India.

(xvii) The Authority ought to examine whether the Petitioners have actually adopted the Adjustment Plan proposed and whether the injury claimed by the Petitioners is on account of the continued inefficiency as highlighted by their own Adjustment Plan while facing self-inflicted injury attributed by the same areas of inefficiency and losses that had been identified in the said Adjustment Plan.

(xviii) Resolution of M/s Mysore Petrochemicals attached at Annexure 2.1 of the Petition unambiguously states that the main reason for closure of the plant has been because the conversion costs are very high and, therefore, it is unable to maintain competitiveness. Hence, it is the inefficiency of Indian industry that is causing injury.

(xix) Imposition of anti-dumping duty would gravely escalate the price of the subject goods and have a direct impact effect on the costs of the plasticizer manufacturers and other dependant downstream industries. Thus, it would make the end user industry completely unviable and it may suffer immense injury and it may even lead to closure of its plants.

(xx) The producers of Phthalate Plasticizers in foreign countries function on integrated units manufacturing Ortho-xylene and Oxo-Alcohols, Phthalic Anhydride as well as Phthalate Plasticizers and are cheaper as compared to Indian units. It is submitted that, an anti-dumping duty on imports of the subject goods, will open flood gates for foreign exporters of phthalate plasticizers and will cause gross injury to domestic manufacturers of phthalate plasticizers,

(xxi) During the POI, the basic customs duty on imports of the raw material Ortho-xylene was @5% whereas the basic customs duty on PUC is @7.5 %. In the Budget 2014-15, the basic customs duty on Ortho-xylene was reduced to 2.5 percent which comes to 50% of the chargeable duty. There is thus no need to impose anti dumping duty in the instant case.

(xxii) Market share of imports is not substantial enough to cause negative effect on the performance of the domestic industry. Negative effect is due to countries subject to anti-dumping duty and other domestic producers.

(xxiii) Production, sale and capacity utilization of the domestic industry has increased.

(xxiv) Increase in capacity is a clear indication of positive present and future performance. Further improvement in wages and productivity is the result of positive performance.

(xxv) IG Petro has consistently increased its profits over the injury period.

(xxvi) There is no significant price undercutting by the subject countries as the range of price undercutting has been 0-10% throughout the injury period.

(xxvii) The selling price of the domestic industry has increased almost equal to the cost of sales and, therefore, no price suppression and depression. Sales value of the domestic industry has increased in the POI as compared to the base year.

(xxviii) The Applicants have provided no evidence of threat of material injury.

(xxix) Despite imposition of anti-dumping duty, the imports from countries attracting anti-dumping duty has increased and these may affect the performance of domestic industry and same may be examined.

(xxx) Increasing price of raw material has contributed to decreasing margins of TCL. In addition, the company's reliance on a single raw material supplier and being located away from the raw material source has also impacted its margins.

(xxxi) Locational disadvantage of TCL contributes significantly to any injury caused to TCL.

(xxxii) IG petro is the lowest cost producer and one of the largest producer and it has locational advantage. TCL is suffering due to factors other than dumping.

(xxxiii) Shutdown of MPCL is a result of intensive competition from bigger domestic players like IG petro and TCL. In addition, their plant was located away from the western region.

(xxxiv) Competition amongst domestic producers has greater impact than imports of subject goods. Sales of IG Petro is likely to have had suppressing and depressing effect.

(xxxv) IG petro has been consistently increasing its gross profits. Decrease in cash profits and PBIT is due to amortization of investment, interest from borrowings required from expansion projects and result of expenses of extraordinary expenses.

(xxxvi) IG Petrochemicals Limited has been performing very well throughout the course of the injury investigation period.

(xxxvii) The Authority should request Thirumalai Chemicals Limited ("TCL") and IG Petrochemicals Limited ("IGPL") to provide injury related data separately for the injury period and the period of investigation ("POI") rather than combined data for both the companies. As the data provided in the Application is combined for both the companies, the positive performance of IGPL has been masked by the relatively less positive performance of TCL.

(xxxviii) Any negative impact on the performance of TCL was as a result of imports already subject to anti-dumping duties and competition from other domestic producers of the like product as well as other factors.

(xxxix) The decline in the production in the POI was insignificant. Further, IGPL increased its production in 2013-14 as compared to the previous year.

(xl) Despite the decline in the sales volume, the sales value of the Applicants has increased. Further, IGPL's sales value has consistently increased as apparent from the data. The sales value of IGPL increased in 2013-14 as compared to the previous year.

(xli) IGPL's capacity utilization remains at very high levels and based on the positive performance of its plant, it has planned to further expand its capacity by adding a third PA plant.

(xlii) Inventories relative to domestic production have remained constant throughout the course of the injury period and the POI.

(xliii) As per its Annual Reports, IGPL is one of the lowest cost producers of PA in the world and, therefore, it is submitted that a non-injurious price computed for IGPL would be lower than that of the other domestic producers of the like product.

(xliv) The performance of IGPL has improved, particularly in terms of production, sales, capacity utilization, capacity and gross profits, over the course of the injury period and the POI. IGPL's profits have been steadily increasing over the course of the injury period and the POI, the imports from the subject countries have not been suppressing or depressing the prices of IGPL or resulting in undercutting and underselling of IGPL's prices. IGPL is not suffering injury in terms of the relevant legal provisions. The Authority should conduct the injury analysis for IGPL and TCL individually and not based on combined data.

(xlv) The Applicants have not provided any evidence to establish that exporters from the subject countries are holding significant unutilized capacities and further that the exporters from the subject countries intend to increase exports to India.

(xlvi) Both TCL and Mysore Petrochemicals Limited have themselves expressly attributed their negative performance to a competitive disadvantage vis-à-vis IGPL.

Submissions made by Domestic Industry

36. The domestic industry has submitted that:

(i) Imports have increased in absolute terms. In fact, the imports have shown a significant increase in the proposed period of investigation.

(ii) Imports have shown absolute increase in both cumulatively and individually from each of the subject countries.

(iii) Imports have increased relative to production and consumption in India.

(iv) Imports from subject countries are significantly suppressing the prices of the product in the country to such an extent that it is suffering huge financial losses.

(v) Imports are significantly underselling the prices of the domestic industry which is evident from the difference between the non injurious price and landed price of imports.

(vi) Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of capacity utilization, production, sales, inventories, market share, profitability and return on investment.

(vii) Performance of the domestic industry improved in the year 2012-13 with the imposition of anti-dumping duty on Israel, Korea and Taiwan. However, with the new sources dumping the product, the performance of the domestic industry has deteriorated to such an extent that performance of the domestic industry once again deteriorated in terms of production, capacity utilization, profits, cash profits and return on investments in the period of investigation.

(viii) Imports are undercutting the prices of the domestic industry. The imports are entering at such prices that there is strong likelihood of further importation.

(ix) The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Given the nature of the production process, the foreign producers have no option but to sell the material, even at the dumping prices, in order to keep their plants running.

(x) It is submitted that the following factors establish that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports:

a. There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and foreign producers. Resultantly, domestic industry lost sales volumes. Thus, decline in sales volumes is a direct consequence of dumped imports from the subject countries.

b. Imported product is severely undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry has been prevented from increasing its prices in proportion to cost increases.

c. Deterioration in profits and subsequent losses, return on capital employed and cash profits are a directly result of dumped imports.

d. Market share of imports from subject countries increased significantly. As a direct consequence, the market share of the Indian producers declined.

e. Growth of the domestic industry became negative in respect of a number of parameters.

(xi) The DI was suffering due to intense dumping from Korea RP, Taiwan and Israel and thus, after an investigation, the imports from these countries were subjected to ADD to recover the DI. However, the DI still could not achieve the required results as the domestic market was never free of dumped imports. After the imposition of ADD on these countries, Russia and Japan resorted to dumping, taking advantage of the ever expanding Indian market.

(xii) Despite sufficient capacities with the domestic industry, the imports from subject countries are increasing significantly at dumped prices. The DI is still in the process of recovering from the effects of past dumping, and as such, the current dumping aggravates its already fragile condition.

(xiii) There has been a mild decline in demand of the PUC in the Indian market. However, imports of the subject goods from the subject countries have increased substantially establishing a direct link between dumping and injury to the DI.

(xiv) The increase in imports, both in absolute terms and relative to demand, domestic production and total imports have been more than significant and far exceed the increase in sales of the DI.

(xv) As regards the argument of increase in selling price, it is submitted that whereas the cost of production has seen an increase, the DI is unable to increase its selling price to the extent of increase in costs because imports from the subject countries are significantly suppressing the prices of the product in the country to such an extent that the DI is suffering huge financial losses.

(xvi) The Petitioners oppose the contention of the responding parties that the capacity utilization of DI suffered a "marginal" drop. It is submitted that the capacity could not be fully utilized. The utilization levels dropped to the lowest point during the POI as compared to the previous years. As regards the alleged logistical difficulties of Thirumalai Chemicals Ltd, it is submitted that the opposing parties have not provided any evidence to demonstrate that Thirumalai Chemicals Ltd is suffering injury due to logistical difficulties.

(xvii) Inventories with the DI have increased throughout. The DI has to resort to export to prevent such piling up of inventories.

(xviii) As regards the shutdown of Mysore Petrochemicals limited, it is submitted that the company, is not a part of the investigation, and as such, its inclusion is not necessary. So significant was the dumping that the company was unable to further reduce its price to the level of imports and run the business. Hence the board decided to close the plant.

(xix) Growth of the DI in terms of market share, production, sales, capacity utilization, profits, ROI and cash profits is adverse.

(xx) As opposed to the responding parties' contention, it is not required to evaluate the performance of PAN derivatives too.

(xxi) The responding parties' contention that the imports made under advance license should not come under the purview of ADD investigation is flawed. Imports made under advance license are well capable of injuring the DI. It is only different in respect that for such imports, the Government has discretion on whether or not to impose duty. As such, inclusion of imports under advance license are also justified to determine accurate injury to the DI.

(xxii) The Petitioners have excluded any "extra expenses" incurred by IG Petrochemicals in determination of the drastic decline to the DI as opposed to the claims of the responding parties.

(xxiii) The DI cannot be allowed to face injury without imposing ADD for presumption of the downstream industries as claimed by the responding parties.

(xxiv) As regards injury to Thirumalai Chemical due to its disadvantageous location, it is submitted that responding parties have no material proof to back their claim that IG Petrochemical incurs lesser cost for raw materials than Thirumalai due to its advantageous location. Also, such observations are also irrelevant because the injury claimed by the Petitioners is on the basis of adverse price effect.

(xxv) Imposition of higher or lower customs duty does not impact dumping of goods as opposed to the claims of the responding parties.

(xxvi) The increase in imports from Japan might be attributed to an agreement (CEPA) as claimed by the responding parties. But no agreement can justify dumping.

(xxvii) As regards the statements in Annual reports, it is submitted that the factors in the annual report are not in the context of deterioration in performance of the domestic industry over the injury period. The Authority is concerned with the performance of the domestic industry over the injury period. The Annual Reports are, however, focused only on the period under consideration. Further, the Authority is concerned about domestic operations, whereas the Annual Reports are concerned about company's overall operations. The shareholders and other stakeholders are interested in knowing not only the performance during the year but also reasons for the performance.

(xxviii) There are no monopolistic situations as claimed by the responding parties. The DI is buying the raw materials at the prevailing rates in the International market.

(xxix) Five percent share in the demand of the total market of imports from the subject countries cannot be termed as insignificant as claimed by the responding parties.

Examination by the Authority

37. The Authority has taken note of various submissions of the DI and the opposing interested parties on consequent injury to the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. While most of the issues are concerning the facts and figures which are addressed ipso facto in the injury analysis, the specific submissions are examined and addressed below.

(i) As regards the submission that the applicable basic customs duty is different for the imports from Russia and imports from Japan and the conditions of competition between the imported articles from Japan and Russia are completely dissimilar; the Authority notes that Annexure II of the AD Rules clearly states that condition of competition is to be analyzed between imported article and the like domestic article. The Authority has cumulatively assessed the effect of such imports as per Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules. It is noted that (i) the margins of dumping from each of the subject countries are more

than the limits prescribed in the Rules; (ii) the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and, (iii) cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market.

(ii) As regards the submission that analysis of Phthalic Anhydride derivatives should also be undertaken, the Authority notes that the anti-dumping duty investigation is a product specific investigation and product under consideration in the present investigation is Phthalic Anhydride and not its derivatives.

(iii) As regards the submission that the Authority should exclude the duty free imports made under advance licenses while examining injury, the Authority notes that the imports made under advance licenses cannot be considered to have affected the price in the domestic market as these are for export production.

(iv) As regards the argument that the subject countries constitute mere 5% of the Indian demand, the Authority notes that 5% market share in the present investigation is significant enough to cause injury to the domestic industry.

(v) As regards the contention that IG Petrochemicals Limited is able to operate at a high rate and any decline in capacity utilization demonstrated by the domestic industry is on account of Thirumalai Chemicals Ltd., which has not been able to optimally utilize its capacity because of logistical difficulties, the Authority notes that the domestic industry (constituted by Thirumalai Chemicals Ltd. and IG Petrochemicals Limited) is suffering injury on account of dumping in the POI. Therefore, injury cannot be attributed to lower capacity utilization only.

(vi) As regards the contention of locational disadvantage to Thirumalai Chemicals Ltd., the Authority notes that in anti-dumping investigation, the injury analysis is required to be conducted for domestic industry as a whole and not for individual domestic producers. Moreover, in the present investigation, the injury to the domestic industry is seen on account of adverse effects of imports on profits, cash flows, return on investment, etc., where the performance of both the DI producers is found to have deteriorated during the injury period. It is not a case that performance of only Thirumalai Chemicals has shown deterioration in respect of profits, cash flows, and return on investment. Performance of IG Petrochemicals has also shown deterioration in respect of profits, cash flows and return on investment. As regards the argument of decline in performance during POI on account of 'extraordinary expenses' incurred by M/s. I G Petrochemicals Ltd, the Authority notes that such expenses were excluded while determining cost of production, profits and return on investments. The argument of locational disadvantage is also not hold good as the cost differentials between the two units is insignificant.

(vii) As regards the contention that change in Government policies has affected the performance of the domestic industry, the Authority noted that the argument is unsubstantiated as to how the changes in Government policies have caused injury to the domestic industry over the present injury period.

(viii) As regards the submission that as per the annual report, there are other factors for the decline in their performance, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self explanatory to establish that dumping has caused injury to the domestic industry. Further, public statements like annual reports of companies do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.

(ix) As regards the contention that whether the Petitioners have actually adopted the adjustment plan proposed and whether the injury claimed by the Petitioners is on account of the continued inefficiency as highlighted by their own Adjustment Plan, the Authority notes that the inefficiencies of the domestic industry are taken into account while determining the Non Injurious Price. The Authority notes that the performance of domestic industry has deteriorated during the injury period. This deterioration in performance of the domestic industry could not have been due to possible non-adoption of adjustment plan. The alleged adjustment plan could have made domestic industry more cost effective. However, under the AD Rules, the Authority is required to consider the domestic industry as it exists and examine whether the performance of the domestic industry deteriorated over the injury period. The performance of the domestic industry has to be considered not in the context of ideal conditions but in the specific circumstances of the domestic industry.

(x) As regards resolution of M/s. Mysore Petrochemicals, the Authority notes that Mysore Petrochemicals is not constituent of the domestic industry and hence the determination of injury is not based on injury to Mysore Petrochemicals.

(xi) As regards the submission that imposition of anti-dumping duty contributes to escalation of prices, the Authority notes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping duties, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount

necessary to redress the injury caused to the domestic industry. On the contrary, imposition of the anti-dumping duties would remove the unfair advantages gained by the dumping practices; would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the users/consumers of the subject goods.

(xii) As regards the contention that the main cause of injury to the domestic industry lies in the imports of the subject goods from the countries already attracting anti-dumping duty, the Authority notes that dumping can take place from several sources simultaneously. The objective of anti-dumping measures is to identify the sources of dumping and neutralize the effect of dumping to the extent of dumping established to create a level playing field for the domestic industry. The existing imports from countries already attracting ADD have been subjected to dumping duty to the extent of dumping found by the Authority.

(xiii) As regards the submission that inter-se competition between the domestic producers is the reason for their injury, the Authority notes that in a healthy market situation, competition amongst the producers cannot be ruled out. It is noted that wherever there are more than one producers of the product under consideration in the domestic market, there would always be some domestic competition amongst them. The performance of the domestic industry has materially declined in respect of parameters such as profit, cash flow and return on investment, despite existence of same degree of domestic competition. It has not been established by an interested party that the competition amongst domestic producers increased to such an extent that the same has broken the causal link between dumping and consequent injury suffered.

(xiv) Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to antidumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

(xv) The Authority notes that:

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.

c. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries are entering into the Indian market at the dumped prices and the conditions of intense competition between the dumped imported articles and the like articles offered by the domestic industry in the Indian market exists.

38. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from the exports of the subject goods from the subject countries.

39. The Authority has examined injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.

40. Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on the domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

41. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules supra.

Volume Effect

Demand

42. The Authority has considered the import data procured from DGCI&S for the assessment of volume and value of imports from the subject countries and other countries. Demand of subject goods has been determined by adding domestic sales of domestic like product with imports of product under consideration from all countries. The summarized position is as follows.

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Demand					
Sales of Domestic Industry	MT	183,405	180,050	193,033	190,482
Sales of Other Indian Producers	MT	43,197	39,457	43,675	35,675
Subject Countries	MT	1,213	2,963	5,981	15,089
Russia	MT	1,213	2,648	3,547	11,667
Japan	MT	-	315	2,434	3,422
Countries attracting ADD	MT	43,014	31,167	32,994	34,241
Other Countries	MT	5,400	4,518	5,232	1,108
Total	MT	276,229	258,154	280,915	276,596

43. The Authority notes that demand for the subject goods has shown general increase over the injury period, although it marginally fallen during the POI in comparison to the previous year.

Import Volumes and Share of Subject Countries

44. The import volumes for the injury period, considering the import data provided by DGCI&S, are as under-

Import Volume	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Subject Countries	MT	1,213	2,963	5,981	15,089
-Russia	MT	1,213	2,648	3,547	11,667
-Japan	MT	-	315	2,434	3,422
Countries attracting ADD	MT	43,014	31,167	32,994	34,241
Other Countries	MT	5,400	4,518	5,232	1,108
Total Imports	MT	49,626	38,647	44,207	50,438
Market share in Imports:					
-Russia	%	2%	7%	8%	23%
-Japan	%	0%	1%	6%	7%
Subject Countries	%	2%	8%	14%	30%
Countries attracting ADD	%	87%	81%	75%	68%
Other Countries	%	11%	12%	12%	2%
Imports from subject countries in relation to:					
-Total imports	%	2%	8%	14%	30%
-Demand	%	0%	1%	2%	5%
-Indian production	%	0%	1%	2%	6%

45. It is noted from the above table that:

(i) Imports from subject countries have increased significantly in absolute terms during POI.

(ii) Imports from subject countries in relation to total imports have increased significantly.

(iii) Imports from subject countries in relation to production and consumption in India have increased in the POI.

(iv) Imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to total imports, production & consumption in India throughout the injury period.

46. It is thus concluded that imports from subject countries have increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

Price Effect

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

47. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

48. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in or exported from the subject countries were imported into the Indian market at prices which were lower than the selling prices of the domestic industry. It is thus noted that imports of subject goods were undercutting the domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

SN	Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
A	**Russia**					
	Landed Price	Rs/MT	59,920	74,296	86,612	92,608
	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	Price Undercutting	%	***	***	***	***
	Price Undercutting Range	%	(0-10)	0-10	0-10	0-10
B	**Japan**					
	Landed Price	Rs/MT	-	81,578	87,624	91,285
	Net Sales Realisation	Rs/MT	-	***	***	***
	Price Undercutting	Rs/MT	-	***	***	***
	Price Undercutting	%	-	***	***	***
	Price Undercutting Range	%	0	(5-15)	0-10	0-10
C	**Subject Countries**					
	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	Price Undercutting	%	***	***	***	***
	Price Undercutting Range	%	(0-10)	0	0-10	0-10

49. The Authority notes that the landed price of imports from the subject countries is below the selling price of the domestic industry in the POI. The imports from subject countries are thus undercutting the prices of the domestic industry.

Price Underselling

50. The Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price (NIP) has been worked out and compared with the landed value of the subject goods (calculated on the basis of the average import price as per DGCIS imports data) to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules.

51. The analysis shows that the landed value of the imports of the subject goods was below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table below:

Particulars	UOM	Russia	Japan
NIP	Rs/MT	***	***
Landed Price	Rs/MT	92,608	91,285
Price underselling	Rs/MT	***	***
Price Underselling	%	***	***
Price Underselling	% Range	5-15	5-15

52. It is noted that during the POI, the landed price of the subject goods from the subject countries is far below the non injurious price determined for the domestic industry, resulting in significant price underselling.

Price Suppression/Depression

53. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has examined the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries in relation to the injury period including the POI. The position is shown as per the table below.

Parameters	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	131	155	166
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	128	154	159
Landed value of Imports for subject countries	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	125	145	154
Landed value of Imports-Japan	Rs./MT	-	***	***	***
Trend	Index	-	100	107	112
Landed value of Imports-Russia	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	125	145	155

54. From the above information, the Authority notes that there was significant increase in both costs of sales as well as selling price over the injury period. The increase in selling price however was not in proportion to the increase in cost of production over the injury period. This shows price suppression effect whereby the domestic industry has not been able to increase its selling price commensurate with increase in its cost of sales.

Economic parameters of the domestic industry

55. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on the domestic producers of the like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments etc. An examination of the performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

56. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	**Unit**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**POI**
Capacity	MT	256,110	256,110	256,110	268,610
Production	MT	207,810	208,480	213,684	211,033
Capacity Utilization	%	81%	81%	83%	79%
Domestic Sales	MT	157,438	162,932	179,649	173,839

57. From the information given above, the Authority notes that:

(i) The Domestic industry enhanced its capacity over the injury period.

(ii) Production of the domestic industry increased till 2012-13, but declined thereafter in the POI. Production of the domestic industry in the POI was lower as compared to the preceding year even when capacity was enhanced.

(iii) Capacity utilization of the domestic industry improved till 2012-13 and then declined in the POI.

(iv) Sales volume of the domestic industry increased from 2010-11 to 2012-13, but declined in the POI.

Profits, profitability, return on investment and cash profits

58. The performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	*(421)*	*456*	*(1,563)*
Profit/(Loss)	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	*(413)*	*480*	*(1,627)*
Cash profits	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	*29*	*159*	*(141)*
Profit before interest	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	*133*	*278*	*(65)*
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	140	279	(61)

59. From the information given above, the Authority notes that:

(i) Profitability of the domestic industry has been determined by considering the cost to make and sell the subject goods and the selling price.

(ii) Profit/Loss and profitability of domestic industry has deteriorated significantly during the period of investigation.

(iii) Whereas both the cost of production and the selling price increased over the period, the domestic industry was unable to increase its selling price in proportion to increase in cost in the POI. Resultantly, the profitability of the domestic industry steeply deteriorated during the period of investigation.

(iv) The domestic industry is suffering financial losses during the POI.

(v) The cash profits, profit before interest and return on capital employed followed the same trend as that of profits. Performance of the domestic industry deteriorated in respect of cash profits, profit before interest and return on capital employed.

(vi) It is thus seen that performance of the domestic industry improved during 2012-13 with imposition of anti-dumping duty. However, the same declined due to dumping from present subject countries.

Market Share in Demand

60. The effects of the dumped imports on the market share in demand of the domestic industry have been examined as below:

Market Share in Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Sales of Domestic Industry	%	66.40%	69.75%	68.72%	68.87%
Sales of Other Indian Producers	%	15.64%	15.28%	15.55%	12.90%
Domestic Producers as a whole	%	82.04%	85.03%	84.27%	81.77%
Subject Countries	%	0.44%	1.15%	2.13%	5.46%
-Russia	%	0.44%	1.03%	1.26%	4.22%
-Japan	%	0.00%	0.12%	0.87%	1.24%
Countries attracting ADD	%	15.57%	12.07%	11.75%	12.38%
Other Countries	%	1.95%	1.75%	1.86%	0.40%

61. The Authority notes that the market share of the domestic industry and domestic producers as a whole increased between 2010-11 and 2011-12 and declined thereafter. The market share of the subject countries increased significantly, whereas the market share of countries attracting ADD declined.

Employment, Productivity and Wages

62. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***

63. It is noted that employment with the domestic industry has increased till 2012-13 and declined thereafter. Wages paid have increased over the injury period with minor decline during the period of investigation. Productivity also increased till 2012-13 and thereafter declined.

Inventories

64. From the information given below, the Authority notes that the inventory position of domestic industry has increased during POI.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	75	96	107

Magnitude of dumping

65. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject countries is not only positive but significant.

Growth

66. The Authority notes that the growth of domestic industry was negative during the POI. Production, sales volumes, profits, return on investment, PBIT and cash flow show negative growth during the POI.

Particulars	Unit (Year to Year)	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Production	Y/Y	-	0%	2%	-1%
Domestic Sales	Y/Y	-	-2%	7%	-1%
Profit/(Loss)	Y/Y	-	-521%	8%	-442%
Cash Profit	Y/Y	-	-71%	456%	-189%
PBIT	Y/Y	-	33%	109%	-123%
Return on Investment	Y/Y	-	3%	12%	-22%

Ability to raise capital investments

67. The Authority notes that the domestic industry has enhanced its capacity in the face of increase in demand. However, dumping of the subject goods from the subject countries has caused material injury to the domestic industry.

Conclusion on injury

68. It is thus seen that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms. The imports have increased significantly in relation to consumption and production of the product in India. Imports have increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression. Effect of dumped imports has been to prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree. Imports have prevented the domestic industry from raising its prices in proportion to cost increases. The domestic industry is suffering significant price underselling. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from the subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of market share, profits, cash profits and return on investment. Inventories with the domestic industry increased. Further, as a result of significant price undercutting and price suppression, profitability of the domestic industry deteriorated so significantly that the domestic industry was suffering significant financial losses. Further, the domestic industry suffered cash losses and low return on investment during the POI. The Authority thus concludes that the domestic industry has suffered material injury.

Causal Link

69. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and the material injury to the domestic industry has been done as follows:

Imports from third countries

70. The Authority has examined the imports data of the subject goods from DGCI&S. It is noted that imports from third countries are either already attracting anti dumping duty or the volume is de-minimis and thus could not have caused claimed injury to the domestic industry.

Contraction in demand

71. There is marginal decline in the demand of Phthalic Anhydride in India in the POI. However, imports of the product under consideration from the subject countries increased significantly in a situation where the demand for the product under consideration has shown mild decline.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

72. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in technology

73. The Authority notes that the technology adopted by the domestic industry is comparable with that adopted by the producers all over the world. There is no significant difference in the manufacturing process of the Indian producers and the foreign producers. In fact, the domestic producers have been manufacturing the product for quite some time, and the technology for production is fairly established.

Changes in pattern of consumption

74. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in the pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

Export performance

75. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible deterioration in export performance of the domestic industry.

Performance of the domestic industry with respect to other products

76. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Productivity of the domestic industry

77. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production. Deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

Factors establishing causal link

78. The analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from the subject countries. Causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

(i) Imports are undercutting the prices of the domestic industry. The volume of imports has increased significantly.

(ii) The consumers have increasingly switched their requirements to suppliers from the subject countries as a result of significant price difference. Thus, the price undercutting has led to significant increase in market share of imports and decline in the market share of the domestic industry.

(iii) The presence of dumped imports in the country is preventing the domestic industry from increasing its prices in proportion to the rise in costs.

(iv) The subject imports are underselling the product sold by the domestic industry.

(v) Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits is a direct consequence of the dumped imports.

(vi) The market share of dumped imports increased over the injury period.

Conclusion on Injury and Casual link

79. From the above examination of injury and causal link, the Authority concludes that the domestic industry has suffered injury as a result of dumping of the subject goods from the subject countries. There has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms throughout the injury period and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are significantly undercutting the domestic prices. The dumped imports have had significant adverse effect on the prices of the domestic industry in the market. The dumping margin for the subject countries has been determined and is considered significant. Market share of the subject imports has significantly increased. Performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments. Inventories have increased. The Authority concludes that the domestic industry has suffered injury as a result of dumped imports from the subject countries

80. The non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports to determine injury margin. The injury margins have been determined as follows:

Injury Margin

Particulars	UOM	Russia		Japan
		Cooperative Producer/Exporter	Others	
NIP	Rs/MT	***	***	***
Landed Price	Rs/MT	***	***	***
Injury margin	Rs/MT	***	***	***
Injury margin	%	***	***	***
Injury margin	% Range	10-20	15-25	5-15

81. The level of injury margins determined is considered significant.

INDIANINDUSTRY'S INTEREST& OTHER ISSUES

82. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

83. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

84. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the opposing interested parties:

a. There should not be any form of injury duty imposed/levied against Rosplast/Kamtex-Himprom for the reasons that even though in the POI the demand of the subject goods from Russia saw a dramatic increase, yet the price per unit for the subject goods in the POI from Russia was actually higher than the unit price for goods from Japan. Logically, the cheaper product would show the greater increase in sales volumes, yet this is not the case. The increase in sales of the Russian product in the POI is due to the excellent focused marketing of the product by Millman Limited, and not any form of dumping.

b. The total demand in MT varies each year, but more specifically from 2012-13 to the POI, it can be seen that there was a decline in demand. However, it is evident that the domestic sales have seen no significant effect from this decline as they have steadily remained at around 63-64%. Further to this, the results show that the domestic industry has continued to hold 76% of market demand for two years straight, inclusive of the period of investigation. From this it is evident that proportionately the domestic industry has not suffered from the increase in sales from Russia.

c. Due to these reasons, we do not agree to the penalty of the injury margin, and we believe that if you are proposing $5 - $10/MT anti dumping duty for Japan then it should be NIL for Russia and certainly not more than $5 - $10/MT.

d. The Authority should terminate this investigation forthwith, on the basis that the import information forming the basis for the initiation was not accurate or adequate and have failed to make critical disclosures.

e. There is no information or credible evidence to show that there is dumping of the subject goods from the subject countries.

f. The imports of the subject goods made under advance license need to be excluded in order to assess the alleged injury claimed by the Domestic Industry.

g. There is no injury to the domestic industry, if any, as claimed by the Petitioners and the injury if any, is clearly self inflicted.

h. There is no causal link between the injury alleged by the domestic industry and the imports of the subject goods into India.

i. The imposition of anti-dumping duty on the product under consideration is not in public interest.

j. The Authority should request Thirumalai Chemicals Limited ("TCL") and IG Petrochemicals Limited ("IGPL") to provide injury related data separately for the injury period and the period of investigation ("POI") rather than combined data for both the companies. As the data provided in the Application is combined for both the companies, the positive performance of IGPL has been masked by the relatively less positive performance of TCL.

k. Any negative impact on the performance of TCL was as a result of imports already subject to anti-dumping duties and competition from other domestic producers of the like product as well as other factors.

l. The decline in the production in the POI was insignificant. Further, IGPL increased its production in 2013-14 as compared to the previous year.

m. Despite the decline in the sales volume, the sales value of the Applicants has increased. Further, IGPL's sales value has consistently increased as apparent from the data. The sales value of IGPL increased in 2013-14 as compared to the previous year.

n. IGPL's capacity utilization remains at very high levels and based on the positive performance of its plant, it has planned to further expand its capacity by adding a third PA plant

o. Inventories relative to domestic production have remained constant throughout the course of the injury period and the POI.

p. As per its Annual Reports, IGPL is one of the lowest cost producers of PA in the world and, therefore, it is submitted that a non-injurious price computed for IGPL would be lower than that of the other domestic producers of the like product.

q. The performance of IGPL has improved, particularly in terms of production, sales, capacity utilization, capacity and gross profits, over the course of the injury period and the POI. IGPL's profits have been steadily increasing over the course of the injury period and the POI, the imports from the subject countries have not been suppressing or depressing the prices of IGPL or resulting in undercutting and underselling of

IGPL's prices. IGPL is not suffering injury in terms of the relevant legal provisions. The Authority should conduct the injury analysis for IGPL and TCL individually and not based on combined data

r. The Applicants have not provided any evidence to establish that exporters from the subject countries are holding significant unutilized capacities and further that the exporters from the subject countries intend to increase exports to India.

s. Both TCL and Mysore Petrochemicals Limited have themselves expressly attributed their negative performance to a competitive disadvantage vis-à-vis IGPL.

t. IG Petrochemicals Limited is able to operate at a high rate. Any decline in capacity utilization demonstrated by the domestic industry is on account of Thirumalai Chemicals Ltd., which has not been able to optimally utilize its capacity because of logistical difficulties.

u. Given the constant high operating rates and locational advantages of IG Petrochemicals Limited, it incurs lower operating, logistical and labour costs. As a matter of fact, IG Petrochemicals Limited enjoys reduced costs for purchase of raw materials as compared to its peers because one of the key raw material supplier to the Phthalic Anhydride industry is also situated closer to IG Petrochemicals Limited. These advantages are not available to Thirumalai Chemicals Limited.

v. Sales volumes and selling price of the Petitioners has increased over the injury period, despite declining domestic demand.

Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

85. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

(a) Product under consideration has been exported to India at dumping prices from the subject countries.

(b) Both dumping margin and injury margin in the POI are positive and significant. However, both dumping margin and injury margin requires reconsideration.

(c) Normal values for all the three responding exporters are grossly understated

(d) Individual dumping margin for the responding Russian producer-exporter should be denied.

(e) Domestic industry has suffered material injury.

(f) Definitive anti dumping duties are required to be recommended.

(g) None of the interested parties have been able to establish that the contentions of the domestic industry on any of the relevant accounts are incorrect.

(h) Fixed quantum of anti dumping duties is required to be expressed in terms of US$.

Examination by the Authority

86. (a) As regards the argument that the import price from Russia is higher than the import price from Japan and increase in sales of the Russian product in the POI is due to the excellent focused marketing of the product by Millman Limited, and not any form of dumping, the Authority notes that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The dumped imports are significantly undercutting the domestic prices. The dumped imports have had significant adverse effect on the prices of the domestic industry in the market. Market share of the subject dumped imports has significantly increased. Performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments. The domestic industry has thus suffered injury as a result of dumped imports from the subject countries.

(b) As regards the argument that the demand for the product declined, it is noted that whereas the demand for the product declined in POI by 1.5% as compared to preceding year, the imports from subject countries increased by about 150%. Thus, the increase in imports from the subject countries was quite significant.

(c) As regards the argument on the quantum of ADD, the Authority notes that the quantum of ADD has been determined based on the dumping margin and injury margin disclosed in the disclosure statement.

(d) As regards the argument that information forming the basis for the initiation was not accurate or adequate and petitioners failed to make critical disclosures, the authority notes that the petition was duly documented and contain sufficient evidence to justify initiation of the investigation. Further, the petition and disclosure statement contains all relevant and necessary disclosures in this regard.

(e) As regards the argument that there is no credible evidence to establish dumping, the authority notes that the investigation has clearly established dumping beyond de-minimis limits.

(f) As regards the argument that injury is clearly self inflicted, the authority holds that no interested party has established how the injury is self inflicted, nor the investigation has shown that the injury is self inflicted.

(g) As regards the argument that the imposition of duty is not in public interest, the authority notes that no interested party has established how the imposition of duty is not in public interest. It is also noted that the Govt. of India had earlier imposed safeguard duty on the product wherein the Director General of Safeguards held that imposition of safeguard duty was in public interest.

(h) As regards segregated data of the two petitioning companies, it is clarified that petitioner has provided segregated data. Since, the authority is required to examine the injury to the domestic industry by cumulating the data of the two companies, it would not be appropriate to examine the individual injury data of the two companies.

(i) As regards the contention that injury to the domestic industry is due to dumped imports from countries already attracting ADD, it is noted that the imports from these countries are already attracting ADD. The authority is not required to segregate injury to the domestic industry from other dumped imports. The authority is required to segregate injury to the domestic industry from undumped imports from third countries.

(j) As regards the contention of interested parties concerning decline in production, injury to one of the petitioner companies, the issues have been examined at relevant place in the injury analysis.

(k) As regards lower cost of production or no injury to one of the petitioner companies, the authority notes that it is required to considered the data for the domestic industry as a whole and not individual domestic producers comprising domestic industry.

CONCLUSION

87. After examining the submissions made by the interested parties and the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration has been exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

RECOMMENDATIONS

88. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries is required to offset dumping and consequent injury equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove injury to the domestic industry.

89. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove injury to the domestic industry. Accordingly, anti dumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1	29173500	Phthalic Anhydride	Russia	Russia	Rosplast OOO LLC, Russia	Millman Limited, UK	106.30	MT	US$
2	29173500	Phthalic Anhydride	Russia	Russia	Any	Any	159.43	MT	US$
3	29173500	Phthalic Anhydride	Russia	Any other country	Any	Any	159.43	MT	US$
4	29173500	Phthalic Anhydride	Any other than subject countries	Russia	Any	Any	159.43	MT	US$
5	29173500	Phthalic Anhydride	Japan	Japan	Any	Any	126.17	MT	US$

6	29173500	Phthalic Anhydride	Any other than subject countries	Japan	Any	Any	126.17	MT	US$
7	29173500	Phthalic Anhydride	Japan	Any other country	Any	Any	126.17	MT	US$

Explanation: Where there is overlapping of antidumping duty on the subject goods with respect to a subject country in different customs notifications, the duty applicable to that subject country shall be the one imposed under the customs notification in which the said country has been specifically mentioned under the Column "Country of Origin."

90. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

91. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA**,** Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.